सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–11

(भाग–ii)

(वर्ष 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

संख्या– 14-8 /XXIV(1)-A-2/2025–14/2020 टी0सी0 (E-52779)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 05 मई, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–अर्थ–2/206/5क(02)/01/2025–26, दिनांक 04.04.2025 एवं सं0–अर्थ–2/476/5क(02)/01/2025–26, दिनांक 15.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–11 के अधीन 05–वेतन, भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मदान्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त **रू0 8000.00 लाख (रू0 अस्सी करोड़ मात्र)** आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

i. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

ii. अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जाएगी, जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।

iii. उक्त हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/प्रकियाओं/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान दिया जायेगा।

iv. स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जायेगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं की जायेगी। वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय।

v. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

vi. व्यय में मितव्ययता की दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025, शासनादेश संख्या–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

vii. धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanne

VIII. वचनबद्ध मदों, यथा वेतन महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जल प्रभार, किराया पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी आदि मदों की धनराशि के अन्तर्गत आहरण/व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

IX. अधिष्ठान संबंधी अवचनबद्ध मदों के अंतर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में, वास्तविक व्यय एवं आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी तथा मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। किसी प्रकार का अधिक व्ययभार सृजित नहीं किया जायेगा।

X. धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना से धनावंटन नहीं किया गया है। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

XI. अनुदान के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि शासन की बिना सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनिर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा–151 के अंतर्गत परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय। राजस्व पक्ष से पूंजीपक्ष तथा पूंजीगत पक्ष से राजस्व पक्ष में पुनिर्विनियोजन प्रतिबन्ध है। अतः इस प्रकार के पुनर्विनियोग के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध न कराये जाय।

XII. बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित प्राविधान कि नियन्त्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो यह सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दुष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल संज्ञान में लाया जाए तथा बी0एम0–8 पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व है जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

XIII. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (यथासंशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन अधिनियम) वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का कड़ाई से पालन अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

XIV. सभी वित्तीय स्वीकृतियां सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत किये जाये जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय। बजट नियन्त्रक अधिकारी/विभागाध्यक्षक बी0एम0–17 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजिका (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों पर आवंटन आहरण वित्त अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष/बजट नियन्त्रण अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन राजस्व पक्ष की धनराशि पूर्व निर्गत शासनादेशों के कम में जारी किया जाए अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतार नहीं किया जायेगा और जिसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

XV. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अंतर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अंतर्गत ही रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

XVI. अधिष्ठान संबंधी जिन मदों में किसी मुद्रण (टंकण) त्रुटि के कारण प्राविधान/आवंटित में वृद्धि हुयी हो, उन प्रकरणों के संबंध में धनराशि व्यय करने से पूर्व वस्तुस्थिति शासन के संज्ञान में लाते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

XVII. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

XVIII. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजत की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के लेखानुदान आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–07 02–सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–05–वेतन, भत्तें आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृत/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश 130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के कम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: I/294464/2025 दिनांक 02.05.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 05-05-2025
15:37:39

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ()/XXIV(1)-A-2/2025–14/2020 टी0सी0(E-52779) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAJENDRA SINGH BONAL
Date: 05-05-2025
16:41:00

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

e No. BES2-1/102/1/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 52779)
nerated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 05/05/2025 04:50 PM

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Secondery Education(S043)

HOD-Director Elementary Education(4514)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -011

आवंटन आई डी-S25050110012
आवंटन पत्र दिनांक-05-MAY-2025

लेखा शीर्षक

2202-सामान्य शिक्षा
01-प्रारम्भिक शिक्षा
102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता
07-विद्यालयो और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं के. जी./ नर्सरी विद्यालयो को सहायता
02-सहायता प्राप्त जू.हा.स्कूल एवं के.जी./ नर्सरी विद्यालयों को सहायता

Voted

2	2	0	2	0	1	1	0	2	0	7	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	0	800000000	0	800000000
योग	0	800000000	0	800000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.80,00,00,000 (Rupees Eighty Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–141 /XXIV-A-2 /2025–14/2020 टी०सी०

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 09 अप्रैल, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/205/5क(02)/01/2025–26, दिनांक 04 अप्रैल, 2025 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी विभिन्न मदों में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरण/मदानुसार कुल धनराशि रु0 37,00,81,94,000/– (रु0 सैंतीस अरब इक्यासी लाख चौरानबे हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

ile No. BES2-1/102/1/2025-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 85621)
enerated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 09/04/2025 02:25 PM

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1)।

Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 08-04-2025
16:03:39

भवदीय,

(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या– ()/XXIV-A-2/2025–14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAJENDRA SINGH BONAL
Date: 08-04-2025
16:56:34

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BES2-1/102/1/2025-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 85621)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 03/04/2025 02:25 PM

परिशिष्ट–1

संख्या– 151 ()/XXIV-A-2/2025–14/2020 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 का संलग्नक:

(धनराशि रू0 हजार में)

अनुदान संख्या–11(राजस्व)			
लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रस्तावित धनावंटन
2202-	सामान्य शिक्षा		
01-	प्रारंभिक शिक्षा		
001-	निदेशन तथा प्रशासन		
03-	निदेशालय अधिष्ठान		
	01–वेतन	39000	39000
	02–मजदूरी	30	30
	03–मंहगाई भत्ता	23790	23790
	04–यात्रा व्यय	200	200
	06–अन्य भत्ते	4680	4680
	07–मानदेय	25	25
	08–पारिश्रमिक	1000	1000
	11–अनुमन्यता व्यय	50	50
	20–लेखन सामग्री/फोर्मो की छपाई	300	300
	22–कार्यालय व्यय	300	300
	24–विज्ञापन, विकी और व्याख्यापन व्यय	50	50
	25–उपयोगिता बिलो का भुगतान	400	400
	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का कय	200	200
	27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200	200
	29–गाडियों के संचालन अनुरक्षण एंव ईधन आदि की खरीद	900	900
	30–आतिथ्य व्यय	50	50
	40–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	200	200
	42–अन्य विभागीय व्यय	300	300
	योग–03	**71675**	**71675**
	योग–001	**71675**	**71675**
101-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
04-	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	01–वेतन	20500000	20500000
	03–मंहगाई भत्ता	12505000	12505000
	04–यात्रा व्यय	200	200

File No. BES2-1/102/1/2025-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 85621)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 03/04/2025 02:25 PM

	06—अन्य भत्ते	2460000	2460000
	09—चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	4000	4000
	20—लेखन सामग्री/फोर्मो की छपाई	1400	1400
	22—कार्यालय व्यय	10000	10000
	23—किराया उप शुल्क और राजस्व	500	500
	25—उपयोगित्ता बिलो का भुगतान	100000	100000
	27—व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2000	2000
	52—लघु निर्माण	150000	150000
	योग—04	**35733100**	**35733100**
07-	**खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन**		
	42—अन्य विभागीय व्यय	10000	10000
	योग—07	**10000**	**10000**
08-	**विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल**		
	20—लेखन सामग्री/फोर्मो की छपाई	2000	2000
	21—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300	300
	25—उपयोगिता बिलो का भुगतान	10000	10000
	26—कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर व अनुरक्षण	1500	1500
	42—अन्य विभागीय व्यय	1000	1000
	51—अनुरक्षण	2000	2000
	योग—08	**16800**	**16800**
12-	**प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास**		
	21—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	22000	22000
	26—कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर व अनुरक्षण	20000	20000
	योग 12	**42000**	**42000**
13-	**कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था**		
	44—सामग्री एवं सम्पूर्ति	230000	230000
	योग—13	**230000**	**230000**
	योग—101	**36031900**	**36031900**
102-	**अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता**		
14-	**सहायता प्राप्त उ.मा. विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग**		
	05—वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	112800	112800
	योग—14	**112800**	**112800**
18-	**शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान**		
	08—पारिश्रमिक	116400	116400
	योग—18	**116400**	**116400**

File No. BES2-1/102/1/2025-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 85621)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 09/04/2025 02:25 PM

	योग–102	229200	229200
104-	निरीक्षण		
03	क्षेत्रीय निरीक्षण		
	01–वेतन	102800	102800
	03–मंहगाई भत्ता	62708	62708
	04–यात्रा व्यय	1500	1500
	06–अन्य भत्ते	12336	12336
	11–अनुमन्यता व्यय	150	150
	20–लेखन सामग्री/फोर्मो की छपाई	1000	1000
	21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	750	750
	22–कार्यालय व्यय	1500	1500
	24–विज्ञापन, विक्री और व्याख्यापन व्यय	1500	1500
	25–उपयोगिता विलो का भुगतान	1500	1500
	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का कय।	750	750
	27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500	500
	29–गाडियों के संचालन अनुरक्षण एंव ईधन आदि की खरीद	1500	1500
	40–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	750	750
	42–अन्य विभागीय व्यय	300	300
	51–अनुरक्षण	1000	1000
	योग–03	190544	190544
05	विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना		
	01–वेतन	269000	269000
	03–मंहगाई भत्ता	164090	164090
	04–यात्रा व्यय	4000	4000
	06–अन्य भत्ते	32280	32280
	09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	130	130
	20–लेखन सामग्री/फोर्मो की छपाई	1900	1900
	21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000	1000
	22–कार्यालय व्यय	1900	1900
	23–किराया उप शुल्क और राजस्व	500	500
	25–उपयोगिता विलो का भुगतान	2375	2375
	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का कय	2000	2000
	27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2500	2500
	42–अन्य विभागीय व्यय	100	100
	51–अनुरक्षण	1500	1500
	योग–05	483275	483275
	योग–104	673819	673819

File No. BES2-1/102/1/2025-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 85621)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 03/04/2025 02:25 PM

106-	**अध्यापक और अन्य सेवायें**		
02	**एजूकेशन पोर्टल**		
	25–उपयोगिता बिलो का भुगतान	400	400
	27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1200	1200
	योग–02	**1600**	**1600**
	योग–100	**1600**	**1600**
	महायोग (प्रारम्भिक शिक्षा)	**37008194**	**37008194**

(रु0 सैंतीस अरब इक्यासी लाख चौरानबे हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव

File No. BES2-1/102/1/2025-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 85621)
Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 09/04/2025 02:25 PM

प्रेषक,   बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा मे,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा,
पिथौरागढ़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ 13906- 12. /5क(02)/13/2025–26 दिनांक 21 मार्च, 2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या 165/XXIV-A-2/2026 09/2026(ई 100737) दिनांक 31 मार्च, 2026 के द्वारा स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों मे अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से **रु0 31213 हजार (रु0 तीन करोड़ बारह लाख तेरह हजार मात्र)** को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय मे सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग 1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षो मे प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफस) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद मे व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

7– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11–निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12–कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

13–वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ /5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13899-905 /बजट(139)/2025–26 दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय:– **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गूलरभोज, गदरपुर के भवन मरम्मत के कार्य की स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–225/XXIV–A–2/2026–92/2019 (E-22744) दिनांक 31 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गूलरभोज, गदरपुर के भवन मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 **4.47 लाख (रूपये चार लाख सैंतालीस हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **4.47 लाख (रूपये चार लाख सैंतालीस हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये मूल शासनादेश संख्या–595/XXIV-A-2/2020–92/2019 दिनांक 01–12–2020 एवं शासनादेश संख्या 409/XXIV-A-2/2023–92/2019 दिनांक 27–07–2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13899-905 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून, ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, ऊधमसिंह नगर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून, ऊधमसिंह नगर।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

Print Date:-31/Mar/2026 11:06 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: M. Birendra Kumar
Date: 31-Mar-2026 23:08:09
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Director Elementary Education
Treasury-U S Nagar(7500)
DDO-Finance Officer Elementry Education U S Nagar(4519)

आवंटन पत्र संख्या - Niyojan(04)/139/2025-26

आवंटन आई डी - H26030110366

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2026

लेखा शीर्षक -

4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	01	सामान्य शिक्षा
201	प्रारम्भिक शिक्षा	03	प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण
00	प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण		

4	2	0	2	0	1	2	0	1	0	3	0	0	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अव तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	1701000	447000	1701000	2148000
	योग	1701000	447000	1701000	2148000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 4,47,000 (Rupees Four Lacs Forty Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:4514:4514:2603:0099

Approval Status : e-Sign letter

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
गढवाल मण्डल पौड़ी, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

पत्रांकः नियोजन (04)/ 13894-98/बजट/2025-26 दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाहन क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने एवं 28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय मद में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग-2) के पत्र संख्याः 234/XXIV-A-2/2026-14/2020टी0सी0/(E-89260) दिनांक 28 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अपर निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी एवं अपर निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल हेतु GEM के माध्यम से कुल 02 Mahindra Neo N10 OPT BSVI वाहन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी हेतु अवशेष/अतिरिक्त धनराशि **रु0 31064.00 (रूपये इक्तीस हजार चौसठ मात्र)** तथा अपर निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल हेतु अवशेष/अतिरिक्त धनराशि **रु0 33205.00 (तैंतीस हजार दो सौ पांच मात्र)** कुल धनराशि **रु0 64269.00 (रूपये चौसठ हजार दो सौ उनहत्तर मात्र)** स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि **64269.00 (रूपये चौसठ हजार दो सौ उनहत्तर मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुए मूल शासनादेश 234/XXIV-A-2/2026-14/2020टी0सी0/(E-89260) दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 104-निरीक्षण, 03 क्षेत्रीय निरीक्षण योजनान्तर्गत 28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13894-98 /बजट/2025-26 उक्तदिनांकित्।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी सम्बन्धित मण्डल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ 13889-93 /5क(02)/12/2025–26 दिनांकः 31, मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(1)(सी0) के अन्तर्गत अध्ययंनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के फीस प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 238/XXIV-A-2/2026-05/2013T.C(E-49698) दिनांक 31.03.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12(1)(सी0) के अन्तर्गत अध्ययनरत् एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के फीस प्रतिपूर्ति व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में प्राविधानित बजट अनुदान संख्या–11 में रु0 1415700 हजार, अनुदान संख्या–30 में रु0 300000 हजार एवं अनुदान संख्या 31 में रु0 72600 हजार के सापेक्ष द्वितीय छमाही हेतु क्रमशः अनुदान संख्या 11 में रु0 665009.195 हजार, अनुदान संख्या 30 में रु0 150000 हजार एवं अनुदान संख्या 31 में रु0 33968.865 हजार इस प्रकार कुल रु0 848978.060 हजार (रु0 चौरासी करोड़ नवासी लाख अठहत्तर हजार साठ मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि को अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा के अधीन सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– योजना का प्रत्येक वर्ष सोशल ऑडिट कराया जाये।

3– मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थियों के व्यापक सत्यापन के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जाये।

4– व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 यथासंशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– Eligible छात्रों को ही इस योजना से लाभान्वित करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए प्रतिवर्ष एक Certain Percentage छात्रों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में भौतिक सत्यापन (Random verification) किया जायेगा तथा इसके परिणाम से प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

6– प्री–प्राइमरी के बारे में नीतिगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जायें तथा भारत सरकार से जो भी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है, उसको स्टेट ट्रेजरी में जमा करते हुए पूर्व में समायोजित धनराशि की पुष्टि भी सुनिश्चित की जाये।

7– धनराशि का नगद आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। धनराशि का एकमुश्त आहरण ई–कोष के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– विभाग द्वारा 03 माह के भीतर भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।

9– उपरोक्त के अतिरिक्त अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्राविधानित उद्देश्यों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु ही किया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बच्चों की प्रतिपूर्ति दिनांक 31–03–2026 से पूर्व कर ली जाये।

10— लाभार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में भुगतान सम्बन्धित अधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

11— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिंश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 (राजस्व) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0 एवं शासनादेश।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 13891-93 /5क(02)/12/2025—26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4— "उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्" राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

O/C

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ ____ /5क(02)/06/2025–26 दिनांकः 31 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी0एम0पोषण) योजनान्तर्गत प्राविधान के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 237/XXIV-A-2/2026–25/2007 टी0सी0 दिनांक 31 मार्च 2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी0एम0 पोषण) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में **रू0 300505 हजार (रुपये तीस करोड़ पाँच लाख पाँच हजार मात्र)** एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में **रू0 30741 हजार (रुपये तीन करोड़ सात लाख इकतालीस हजार मात्र)**, इस प्रकार कुल धनराशि **रू0 331246 हजार (रुपये तैंतीस करोड़ बारह लाख छियालीस हजार मात्र)** को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानवार **रू0 331246 हजार (रुपये तैंतीस करोड़ बारह लाख छियालीस हजार मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 **(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित)**, वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5– योजना के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य पदार्थ तैयार कर उपलब्ध करवाया जाये।

6– योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

7– प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

8– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11,30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/13884-88/5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य-कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/05/2025–26 दिनांक: 31 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद में बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 483/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 (E-52779) दिनांक 31.10.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि के सापेक्ष जनपद हरिद्वार से प्राप्त अतिरिक्त बजट माँग के आधार पर धनराशि रु0 9,00,000/– (रुपये नौ लाख मात्र) को उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न आई0डी0 अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025, शासनादेश सं0– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सम्बन्धित देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय–विवरण प्राप्त कराये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर धनराशि आवंटन किया जायेगा।

6– धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 / नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0 / नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2 / 13825-31 / 5क(02) / 05 / 2025–26 / दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पिथौरागढ़।

पत्रांक–नियोजन(04)/ — /अनुरक्षण–51/2025–26 दिनांक 31 मार्च, 2026

विषयः– <u>मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–595/2023 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–233/XXIV–A–2/2026–13/2025 (E-93785) दिनांक 28 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–595/2023 "विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तोली चुफात (राजस्व ग्राम हड़खोला, तोलीचुफात एवं बन्दरलीमा) को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने" के क्रियान्वयन हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालय बन्दलीमा के भवन मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 51–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **16.90 लाख (रूपये सोलह लाख नब्बे हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **16.90 लाख (रूपये सोलह लाख नब्बे हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिखा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के मानक मद 51–अनुरक्षण के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/13818-24 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, पिथौरागढ़।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
गढवाल मण्डल पौड़ी, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

पत्रांक: नियोजन (04)/ 13725-28 /बजट/2025–26 दिनांक 28 मार्च, 2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में वाहन क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने एवं 28–कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय मद में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या: 234/XXIV-A-2/2026–14/2020टी0सी0/(E-89260) दिनांक 28 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अपर निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी एवं अपर निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल हेतु GEM के माध्यम से कुल 02 Mahindra Neo N10 OPT BSVI वाहन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2025 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 28–कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि **रु0 922460.00 (रूपये नौ लाख बाईस हजार चार सौ साठ मात्र)** प्रति मण्डल कुल धनराशि **रु0 1844920.00 (रूपये अट्ठारह लाख चवालीस हजार नौ सौ बीस मात्र)** स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि **रु0 1844920.00 (रूपये अट्ठारह लाख चवालीस हजार नौ सौ बीस मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03 क्षेत्रीय निरीक्षण योजनान्तर्गत 28–कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13725-28 /बजट/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेडा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2 / /5क(02)/11/2025—26 दिनांकः 27 मार्च, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन एजूकेशनल पोर्टल योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 193/XXIV-A-2/2026-14/2020(E-13490) दिनांक 25.03.2026 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में प्रारंभिक शिक्षा के अधीन पुनर्विनियोग के द्वारा एजूकेशनल पोर्टल योजना के संचालन के लिए रु0 29 हजार (रु0 उनतीस हजार मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि को संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः—

उक्त मानक मद में आवंटित धनराशि रु0 29 हजार (रु0 उनतीस हजार मात्र) से संबधित कम्प्यूटर प्रोग्रामर के अवशेष मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2— व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— योजना के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमो/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये। संबंधित संस्था से कम्प्यूटर प्रोग्रामर का मासिक व्यय का देयक प्राप्त करते हुए प्रति माह का भुगतान किया जाये। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से देयताओं के सम्बन्ध में अग्रिम भुगतान न किया जाये। अवमुक्त धनराशि से केवल वित्तीय वर्ष 2025—26 की ही देयता का भुगतान नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। गलत आहरण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित पटल प्रभारी लेखा की होगी।

4— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

7— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 106–अध्यापक और अन्य सेवायें, 02–एजूकेशन पोर्टल के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0–अर्थ–2/13670-75 /5क(02)/11/2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ – /5क(02)/06/2025–26 दिनांकः 27 मार्च, 2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री अमृत आँचल योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या **195/XXIV-A-2/2026–25 /2007/Vol-1(E-100906)** दिनांक 25 मार्च 2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में "मुख्यमंत्री अमृत आँचल" योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनवरी 26 से मार्च 26 तक की मांग का 50 प्रतिशत रु0 25503.435 हजार मात्र एवं अग्रिम भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन रु0 1421.983 हजार मात्र, इस प्रकार कुल धनराशि **रु0 26925.418 हजार (रुपये दो करोड़ उनहत्तर लाख पच्चीस हजार चार सौ अट्ठारह मात्र)** को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार **रु0 26925.418 हजार (रुपये दो करोड़ उनहत्तर लाख पच्चीस हजार चार सौ अट्ठारह मात्र)** की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 **(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित)**, वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5– योजना के तहत छात्र–छात्राओं को निर्धारित मानक के अनुसार ही फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध करवाया जाये।

6– योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

7– प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02–मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/13658-63 /5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी,
टिहरी।

पत्रांक- अर्थ-2/ - /5क(02)/03/2025-26 दिनांक: 27 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी दिनांक 09.04.2025 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में पूर्व आवंटन पश्चात् उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण योजना के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ रु0 60.264 हजार (रुपये साठ हजार दो सौ चौंसठ मात्र) की धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXvii (7)32/2007 टी0सी0-। दिनांक 21-07-2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4- उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0-04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7- वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023-ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई-साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0–अर्थ–2/13664-69/5क(02)/03/2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार,
रुद्रप्रयाग, टिहरी।

पत्रांक– अर्थ–2/ – /5क(02)/03/2025–26 दिनांकः 23 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी दिनांक 09.04.2025 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में पूर्व आवंटन पश्चात् उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण योजना के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ रु0 196.196 हजार (रुपये एक लाख छियानवे हजार एक सौ छियानवे मात्र) की धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXvii (7)32/2007 टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0–अर्थ–2/13361-66/5क(02)/03/2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ – /5क(02)/06/2025–26 दिनांक: 23 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी०एम०पोषण) योजनान्तर्गत न्यू किचन कम स्टोर की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 184/XXIV-A-2/2026–25/2007 टी०सी० दिनांक 17 मार्च 2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी०एम० पोषण) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में रु0 5611 हजार (रुपये छप्पन लाख ग्यारह हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में रु0 623 हजार (रुपये छः लाख तेईस हजार मात्र), इस प्रकार कुल धनराशि रु0 6234 हजार (रुपये बासठ लाख चौंतीस हजार मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानवार रु0 6234 हजार (रुपये बासठ लाख चौंतीस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5– योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

6– प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

7– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11,30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/13349-54/5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ 13355-66 /5क(02)/06/2025—26 दिनांकः 23 मार्च, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी0एम0पोषण) योजनान्तर्गत प्राविधान के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 214/XXIV-A-2/2026--25/2007 टी0सी0 दिनांक 20 मार्च 2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी0एम0 पोषण) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रू0 300505 हजार (रुपये तीस करोड़ पाँच लाख पाँच हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रू0 30741 हजार (रुपये तीन करोड़ सात लाख इकतालीस हजार मात्र), इस प्रकार कुल धनराशि रू0 331246 हजार (रुपये तैंतीस करोड़ बारह लाख छियालीस हजार मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानवार रू0 331246 हजार (रुपये तैंतीस करोड़ बारह लाख छियालीस हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय—समय पर जारी किये गये समस्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4— स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5— योजना के अन्तर्गत छात्र—छात्राओं को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य पदार्थ तैयार कर उपलब्ध करवाया जाये।

6— योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

7— प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

8— वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11,30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/13355-60/5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ,
ऊ0सिं0नगर, उत्तरकाशी।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/13/2025–26 दिनांक 24 मार्च, 2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से **रु0 10509 हजार (रुपये एक करोड़ पाँच लाख नौ हजार मात्र)** को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कडाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हा जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पॉच वर्षो में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

7- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8- यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9- मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10-कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनज़र रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11-निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12-कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

13-वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न- आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-अर्थ-2/13573-79 /5क(02)/13/ 2025-26/ दिनांकः- उक्तवत्।
प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

पत्रांक— अर्थ—2/ — /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 24 मार्च, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22—कार्यालय व्यय में रु0 10000 हजार (रु0 एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत रा0प्रा0 विद्यालयों एवं उ0 प्रा0 विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु धनराशि रु0 112 हजार (रु0 एक लाख बारह हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0—04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः..2/—

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 13580-86 /5क(02)/04/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　बजट आवंटन

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/18/2025–26 दिनांक: 24 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु रु0 230000000/- (रु0 तेईस करोड़ मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष बजट में से रु0 1,73,946/- (रु0 एक लाख तिहत्तर हजार नौ सौ छियालीस मात्र) धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आवंटित करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथासंशोधित, वितीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– आवंटित धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31–03–2026 तक करवाते हुए भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से संबंधित छात्र–छात्राओं को करवाने का कष्ट करें। भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब/लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

4– योजनान्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–5 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र कुल रु0 318/– मात्र (जूता मूल्य रु0 153/– एवं बैग मूल्य रु0 165/–) जबकि कक्षा–6 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र कुल रु0 462/– मात्र (जूता मूल्य रु0 187/– एवं बैग मूल्य रु0 275/–) का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

5– योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

6– यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

7– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

9– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

10– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 13–कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/13568-72/5क(02)/18/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– संबंधित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ — /5क(02)/04/2025–26 दिनांकः 23 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु0 46.440 हजार (रु0 छियालीस हजार चार सौ चालीस मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न: बजट आवंटन आई0डी0

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/13333-37 /5क(02)/04/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून, ऊ0सिं0 नगर।

पत्रांक— अर्थ—2/ — /5क(02)/07/2025—26 दिनांक: 23 मार्च, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या :141/XXIV(I)—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् उपलब्ध धनराशि में से रु0 145.882 हजार (रु0 एक लाख पैंतालीस हजार आठ सौ बयासी मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न आवंटन आई0डी0 अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप शिक्षा अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर के माध्यम से तत्काल आवंटित किया जाये। आवंटित धनराशि को प्रत्येक दशा में दिनांक 31—03—2026 तक निम्नानुसार व्यय कर लिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2— उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 944/VI-2/2011—21(6)/2011 दिनांक 16.12.2011 एवं 162/VI-3/2023—30(16)/2022 दिनांक 10 मार्च 2023 में निर्धारित किये गये मानकानुसार व्यय करवाना सुनिश्चित करें।

3— आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय से संबंधित देयक आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार संबंधित को वास्तविक भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि को निदेशालय को समर्पित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा, ऐसा किया जाने पर अथवा निदेशालय के संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी/पटल प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी।

4— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलॉटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलॉटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 07—खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 13320-24 /5क(02)/07/2025—26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2—सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3—सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।
4—सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ – /5क(02)/13/2025–26 दिनांक 23 मार्च, 2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से **रु0 3956 हजार (रुपये उनतालीस लाख छप्पन हजार मात्र)** को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हा जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

7– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11–निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12–कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

13–वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 13342-48 /5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पौड़ी, ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक–नियोजन(04)/13549-55 /बजट(139)/2025–26 दिनांक 24 मार्च, 2026

विषयः– **राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा–कक्ष निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–217/XXIV–A–2/2026–14/2025 (E-94949) दिनांक 23 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा–कक्ष निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **150.48 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख अड़तालीस हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। आपके जनपदान्तर्गत संचालित विद्यालय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 **150.48 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख अड़तालीस हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र0 स0	**जनपद**	**वि0ख0**	**विद्यालय का नाम**	**कार्यदायी संस्था**	**कार्य**	**लागत (लाख में)**
1	पौड़ी	जयहरीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 गुनियाल	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	16.53
2	पौड़ी	जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 मोली	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	16.53
3	पौड़ी	कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 मलाऊँ	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	21.87
4	पौड़ी	कल्जीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 किमोली	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	25.56
5	पौड़ी	कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 चोपड़ा	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	27.88
6	पौड़ी	पौड़ी	रा0प्रा0वि0 बणगांव	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	25.10
7	ऊधमसिंह नगर	खटीमा	रा0आ0उ0प्रा0वि0 सडासडिया	ग्रामीण निर्माण विभाग	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	17.01
					योग	**150.48**

(रूपये एक करोड़ पचास लाख अड़तालीस हजार मात्र)

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा–

201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 / नियोजन(04) / 13549-55 / बजट (139) / 2025–26 उक्तदिनांकित्।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
देहरादून, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक–नियोजन(04)/13542-48 /बजट(139)/2025–26 दिनांक 24 मार्च, 2026

विषयः– राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा–कक्ष निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–218/XXIV–A–2/2026–16/2025 (E-96537) दिनांक 23 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा–कक्ष निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **81.50 लाख (रूपये इक्यासी लाख पचास हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। आपके जनपदान्तर्गत संचालित विद्यालय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 **81.50 लाख (रूपये इक्यासी लाख पचास हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र0 स0	जनपद	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1	देहरादून	चकराता	रा0प्रा0वि0 सावड़ा	ग्रामीण निर्माण विभाग	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	11.50
2	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 झुण्डोली	ग्रामीण निर्माण विभाग	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	14.00
3	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 नौनादानकोट	ग्रामीण निर्माण विभाग	एक कक्षा–कक्ष निर्माण	14.00
4	रूद्रप्रयाग	जखोली	रा0प्रा0वि0 सेमलता	ग्रामीण निर्माण विभाग	एक कक्षा–कक्ष निर्माण	14.00
5	रूद्रप्रयाग	जखोली	रा0प्रा0वि0 किमाणा	ग्रामीण निर्माण विभाग	एक कक्षा–कक्ष निर्माण	14.00
6	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 भुनका वल्ला	ग्रामीण निर्माण विभाग	एक कक्षा–कक्ष निर्माण	14.00
					योग	**81.50**

(रूपये इक्यासी लाख पचास हजार मात्र)

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा–

201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 / नियोजन(04) / 13542-48 / बजट (139) / 2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून, रूद्रप्रयाग।
4. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून, रूद्रप्रयाग।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून, रूद्रप्रयाग।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून/हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल/पौड़ी गढ़वाल/रूद्रप्रयाग/चमोली/नैनीताल/अल्मोड़ा/ऊधम सिंह नगर/चम्पावत्/बागेश्वर/पिथौरागढ़।
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: अर्थ–5(ख–2)/14(01)/ – /जी0पी0एफ0 ब्याज/2025–26 दिनांक 20 मार्च, 2026

विषयः– अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से पी0एल0ए0 जमा की गयी भविष्य निधि की धनराशि पर वर्ष 2024–25 हेतु ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृ

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0– 163/XXIV-A-2/2026-05/2019(E-18366) बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनां 17 मार्च, 2026 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों के पी0एप खाते में जमा धनराशि पर वित्तीय वर्ष 2024–25 ब्याज के भुगतान हेतु रू0–99887715.00/–(रूपये नौ करो अट्ठानबे लाख सतासी हजारी सात सौ पन्द्रह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृत धनराशि में से अशासकीय सहायता प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारि के पी0एफ0 ब्याज वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आपकी मांग जो जनपदीय कोषागार द्वारा प्रमाणित इतिशेष के आध पर आगणित है, निम्न विवरणानुसार धनराशि जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0 जो आहरण वितरण अधिकारी हैं, निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्रम संख्या	जनपद का नाम	जनपदवार वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये)
1	देहरादून	857590.00
2	उत्तरकाशी	0.00
3	हरिद्वार	2989852.00
4	टिहरी गढ़वाल	5199911.00
5	पौड़ी गढ़वाल	8773164.00
6	रूद्रप्रयाग	9162494.00
7	चमोली	1587866.00
8	नैनीताल	28756790.00
9	अल्मोड़ा	24992413.00
10	ऊधमसिंह नगर	6760292.00
11	चम्पावत्	3078409.00
12	बागेश्वर	4072668.00
13	पिथौरागढ़	3656266.00
	कुल योगः–	**99887715.00**

(रूपये नौ करोड़ अट्ठानबे लाख सतासी हजार सात सौ पन्द्रह मात्र)

1:– उक्त धनराशि के व्यय को मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त अभिलेख सम्बन्धि जनपद के राजकीय कोषागार को प्रस्तुत किया जायेगा।

2:— इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—5 भाग—1 अध्याय —16—ए में निहित अनुदान के नियम लागू रहेंगें।

3:— उक्त आबंटित धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि इस धनराशि का नगद आहरण नहीं किया जायेगा। स्वीकृत ब्याज की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025—26 में पुस्तक समायोजन के माध्यम से संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में अन्तरित की जायेगी।

4:— इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक की अनुदान संख्या—07 के अधीन लेखाशीर्षक 2049—ब्याज अदायगियां(राजस्व पक्ष), 60— अन्य दायित्वों पर ब्याज, 101— जमाओं पर ब्याज (भारित), 03—कर्मचारियों की भविष्य निधियों पर ब्याज (ट्रेजरी पी0एल0ए0 में अवशेष), 00—62—ब्याज/लाभांश के नाम डाला जायेगा।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0)।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृष्ठा0 सं0: अर्थ—5(ख—2)/14(01)/13178-83 /जी0पी0एफ0ब्याज/2025—26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1:— महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2:— अपर सचिव, बेसिक शिक्षा, अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3:— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4:— समस्त वित्त अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5:— सूचना प्रकोष्ठ निदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ —— /5क(02)/06/2025–26 दिनांक: 20 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 127/XXIV-A-2/2026–25/2007/Vol-1(E-73720) दिनांक 17 मार्च 2026 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत 25013 भोजनमाताओं के मानदेय भुगतान हेतु रु0 218189 हजार (रु0 इक्कीस करोड़ इकासी लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 218189 हजार (रु0 इक्कीस करोड़ इकासी लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5– योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

6– प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

7– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02–मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0– अर्थ–2 / 13206-11 / 5क(02) / 06 / 2025–26 / दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ — /5क(02)/06/2025–26 दिनांक:20 मार्च, 2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी0एम0पोषण) योजनान्तर्गत किचन डिवाइस एवं न्यू किचन डिवाइस की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 185/XXIV-A-2/2026–25/2007 टी0सी0 दिनांक 16 मार्च 2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी0एम0 पोषण) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में रु0 51646 हजार (रुपये पाँच करोड़ सोलह लाख छियालीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में रु0 5738 हजार (रुपये सत्तावन लाख अड़तीस हजार मात्र), इस प्रकार कुल धनराशि रु0 57384 हजार (रुपये पाँच करोड़ तिहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानवार रु0 57384 हजार (रुपये पाँच करोड़ तिहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5– योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

6– प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

7– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11,30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आईoडीo।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृoसंo– अर्थ–2/13184–89 /5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, पौड़ी।

पत्रांक–नियोजन(04)/13129-35 /बजट(139)/2025–26 दिनांक 18 मार्च, 2026

विषयः– **राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/कक्षा–कक्ष निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–199/XXIV–A–2/2026–14/2025 (E-94949) दिनांक 17 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/कक्षा–कक्ष निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल निगम एवं ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **147.24 लाख (रूपये एक करोड़ सैंतालीस लाख चौबीस हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **147.24 लाख (रूपये एक करोड़ सैंतालीस लाख चौबीस हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 स0	जनपद	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	रा0प्रा0वि0 चौड़ाग्राम	पेयजल निगम	01 कक्षा–कक्ष, 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	14.12
2	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 खण्डानऊ	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	33.96
3	पौड़ी	पाबौ	रा0प्रा0वि0 जबरोली	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष, 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	22.83
4	पौड़ी	कल्जीखाल	रा0प्रा0वि0 पल्ली	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष, 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	26.13
5	पौड़ी	पौड़ी	रा0उ0प्रा0वि0 बणगांव	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष, 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	25.10
6	पौड़ी	पौड़ी	रा0प्रा0वि0 टांडियू	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष, 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	25.10
					योग	**147.24**

(रूपये एक करोड़ सैंतालीस लाख चौबीस हजार मात्र)

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा–

201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13129-35 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, पौड़ी।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पिथौरागढ़ ।

पत्रांक–नियोजन(04) / - / बजट(139) / 2025–26 दिनांक 18 मार्च, 2026

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण / कक्षा–कक्ष निर्माण कार्यों की स्वीकृति / धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–200 / XXIV–A–2 / 2026–14 / 2025 (E-97989) दिनांक 17 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण / कक्षा–कक्ष निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **73.50 लाख (रूपये तिहत्तर लाख पचास हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **73.50 लाख (रूपये तिहत्तर लाख पचास हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 स0	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1	डीडीहाट	रा0प्रा0वि0 मालासीमा	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष, 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	24.40
2	डीडीहाट	रा0प्रा0वि0 खेतार	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष, 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	24.50
3	डीडीहाट	रा0प्रा0वि0 चिटगालगांव	ग्रामीण निर्माण विभाग	01 कक्षा–कक्ष, 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	24.60
				योग	**73.50**

(रूपये तिहत्तर लाख पचास हजार मात्र)

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 / नियोजन(04) / 13136-42 / बजट (139) / 2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।

2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, पिथौरागढ़।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक–नियोजन(04)/ – /बजट(139)/2025–26 दिनांक 18 मार्च, 2026

विषयः– **जनपद रूद्रप्रयाग के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–201/XXIV–A–2/2026–16/2025 (E-96537) दिनांक 17 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार जनपद रूद्रप्रयाग के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **112.60 लाख (रूपये एक करोड़ बारह लाख साठ हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **112.60 लाख (रूपये एक करोड़ बारह लाख साठ हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 स0	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1	जखोली	रा0प्रा0वि0 डोभासौड़	ग्रामीण निर्माण विभाग	भवन पुनर्निर्माण	32.00
2	अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 डुंग्रा	ग्रामीण निर्माण विभाग	भवन पुनर्निर्माण	40.30
3	अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 कोलू भन्नू	ग्रामीण निर्माण विभाग	भवन पुनर्निर्माण	40.30
				योग	**112.60**

(रूपये एक करोड़ बारह लाख साठ हजार मात्र)

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा–201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/13143-49 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।

3. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, रूद्रप्रयाग।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
पौड़ी।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13157-63 /बजट(139)/2025–26 दिनांक 18 मार्च, 2026

विषयः– **जनपद पौड़ी के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–203/XXIV–A–2/2026–14/2025 (E-98119) दिनांक 17 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार जनपद पौड़ी के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **96.40 लाख (रूपये छियानबे लाख चालीस हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **96.40 लाख (रूपये छियानबे लाख चालीस हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 स0	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1	थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 पाटुली	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	35.00
2	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 सुनारगांव	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	30.70
3	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 डोबरी	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	30.70
				योग	**96.40**
(रूपये छियानबे लाख चालीस हजार मात्र)					

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा–201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ — /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।

3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, पौड़ी।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी।

पत्रांक–नियोजन(04)/13150-56 /बजट(139)/2025–26 दिनांक 18 मार्च, 2026

विषयः– **राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/कक्षा–कक्ष निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–202/XXIV–A–2/2026–16/2025 (E-96453) दिनांक 17 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/कक्षा–कक्ष निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग एवं पेयजल निगम द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **332.76 लाख (रूपये तीन करोड़ बत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **332.76 लाख (रूपये तीन करोड़ बत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 स0	जनपद	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 सुराड़ी	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	32.00
2	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 छतोड़ा	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	32.00
3	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0आ0प्रा0वि0 कमसाल	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	32.00
4	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 जसोली	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	32.00
5	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 पौड़ीखाल	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	40.30
6	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	रा0प्रा0वि0 सल्या	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	32.00
7	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	रा0प्रा0वि0 मल्ला वल्थी	पेयजल निगम	01 कक्षा–कक्ष 01 प्रधानाध्यापक कक्ष	20.30
8	टिहरी	थौलधार	रा0प्रा0वि0 तिखोन	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	34.86
9	टिहरी	चम्बा	रा0प्रा0वि0 सौन्दकोटी मल्ली	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	37.36
10	टिहरी	कीर्तिनगर	रा0प्रा0वि0 मंजूरीडागर	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	39.94
					योग	**332.76**

(रूपये तीन करोड़ बत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा–201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/13150-56 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/05/2025–26 दिनांकः 16 मार्च, 2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में मूल बजट में रु0 112800 हजार (रु0 ग्यारह करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सहायता प्राप्त मा0वि0 से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग योजना में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2025–26 में मासिक वेतनादि का भुगतान किये जाने हेतु पूर्व आवंटन पश्चात् जनपद से प्राप्त अतिरिक्त मांग धनराशि रु0 314.650 हजार (रुपये तीन लाख चौदह हजार छः सौ पचास मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2025–26 में संबंधित विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करें। आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर बजट होने के बावजूद भी यदि कार्मिकों को मासिक वेतन का प्रतिमाह भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

4– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

5– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

6– यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अनय सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

7– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 14–सहायता प्राप्त उ0मा0 विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग के अधीन संबंधित मानक मद के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0– अर्थ–2/ 12978-84 /5क(02)/05/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/05/2025–26 दिनांकः 16 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद में बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 483/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 (E-52779) दिनांक 31.10.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि के सापेक्ष जनपद से प्राप्त अतिरिक्त बजट मॉग के आधार पर माह फरवरी 2026 हेतु धनराशि रू0 68,15,569/– (रुपये अड़सठ लाख पंद्रह हजार पाँच सौ उनहत्तर मात्र) को उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न आई0डी0 अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025, शासनादेश सं0– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/ वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सम्बन्धित कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय–विवरण प्राप्त कराये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर धनराशि आवंटन किया जायेगा।

6– धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/12971-77/5क(02)/05/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, चमोली, पौडी।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/04/2025–26 दिनांकः 16 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु0 49.424 हजार (रु0 उनचास हजार चार सौ चौबीस मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0 / विवरण सूची

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 12959-63 /5क(02)/04/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ~~चमोली~~, टिहरी
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक– अर्थ–2/ —— /5क(02)/04/2025–26 दिनांकः 16 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22–कार्यालय व्यय में रु0 10000 हजार (रु0 एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत रा0प्रा0 विद्यालयों एवं उ0 प्रा0 विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु धनराशि रु0 147.5 हजार (रु0 एक लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007 टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः..2/–

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 12952-58 /5क(02)/04/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2 / – /5क(02)/13/2025–26 दिनांक 16 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 338/2025 के क्रियान्वन किये जाने हेतु मानक मद 51–अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(I)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025--26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 338/2025 के क्रियान्वन किये जाने हेतु अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से रु0 756 हजार (रुपये सात लाख छप्पन हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हा जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

7– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11–निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12–कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

13–वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर **(IFMS)** के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 12964-70 /5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक— अर्थ—2/ —— /5क(02)/18/2025—26 दिनांक: 16 मार्च, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा—1 से कक्षा—8 तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV(1)—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा—1 से कक्षा—8 तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु रु0 230000000/- (रु0 तेईस करोड़ मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष बजट में से रु0 19,05,414/- (रु0 उन्नीस लाख पाँच हजार चार सौ चौदह मात्र) धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आवंटित करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2— आवंटित धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31—03—2026 तक करवाते हुए भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से संबंधित छात्र—छात्राओं को करवाने का कष्ट करें। भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब/लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3— वित्तीय वर्ष 2025—26 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

4— योजनान्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा—1 से कक्षा—5 तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को प्रति छात्र कुल रु0 318/— मात्र (जूता मूल्य रु0 153/— एवं बैग मूल्य रु0 165/—) जबकि कक्षा—6 से कक्षा—8 तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को प्रति छात्र कुल रु0 462/— मात्र (जूता मूल्य रु0 187/— एवं बैग मूल्य रु0 275/—) का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

5— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

6— यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

7— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

9— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

10— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 13–कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/12938-42/5क(02)/18/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...

पत्रांक– अर्थ–2/ — /5क(02)/14/2025–26 दिनांक: 16 मार्च, 2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2025–26 में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 397/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 15–09–2025 द्वारा मूल बजट में एवं शासनादेश संख्याः 123/XXIV(1)-A-2/2026-14/2020 टी0सी0(E-41127) दिनांक 02–03–2026 में अनुपूरक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से नियोजन अनुभाग से प्राप्त जनपदवार प्रस्तावित अतिरिक्त बजट मांग के अनुसार रु0 13,89,35,410/– (रु0 तेरह करोड़ नवासी लाख पैंतीस हजार चार सौ दस मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मुद्रण हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित फर्मो को नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0– I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

5– योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

6– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोडी जाये।

7– अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

8– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् किया जाये।

9– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में यथाआवश्यकता, मितव्ययता ध्यान में रखकार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही व्यय किया जाये।

11– उक्त धनराशि इस प्रातिबन्ध के अधीन अवमुक्त की जा रही है कि प्रकरण के संबंध में शासन/विभाग स्तर से प्राप्त होने वाले अद्यतन दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– पाठ्य पुस्तकों की पेपर क्वालिटी मानकानुसार रखी जाये। मुद्रण एवं अन्य प्रकरण की अनियमितता हेतु सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

13– बुक बैंक की स्थापना हेतु सम्बनिधत प्रधानाचार्य/खण्ड शिक्षा अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी को व्यापक निर्देशों के साथ निर्देशित कर लिया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

14— यदि बुक बैंक की स्थापना हेतु शासन/विभाग के निर्देशों की आवश्यकता हो तो, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

15— चालू शैक्षिक सत्र में छात्र—छात्राओं को आवंटित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों को अगले सत्र के प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर विद्यालय में स्थापित बुक बैंक में जमा कराते हुए उनके संरक्षण हेतु सुनियोजित कार्ययोजना तैयार की जाये। चालू शैक्षिक सत्र की समाप्ति से पूर्व बुक बैंक में संरक्षित पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

16— यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की उपयोगिता का लाभ वास्तविक रूप से लाभार्थी को प्राप्त हो।

17— शैक्षिक सत्र 2026—27 हेतु पात्र छात्र—छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, इस हेतु सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमों के अधीन पूरी प्रक्रिया समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एक समय—सारणी तैयार करें, जिससे कि शैक्षिक सत्र शुरू होने से पूर्व पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों में पात्र छात्र—छात्राओं को उपलब्ध हो सकें। विलम्ब की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

18— अवमुक्त की जा रही धनराशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025—26 तथा गत वित्तीय वर्ष 2024—25 के सभी लम्बित बिलों का भुगतान कर लिया जायेगा। इसके पश्चात् भी प्रकरण में यदि कोई देयता शेष रहती है तो इसके लिए आप पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

19— आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक निदेशालय को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण निदेशालय को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।

20— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20—विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण के मानक मद 56—सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/ 12943-59 5क(02)/14/2025—26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
चमोली।

पत्रांक–नियोजन(04)/ – /बजट(139)/2025–26 दिनांक 09 मार्च, 2026

विषयः– **जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाषनगर, दशोली के भवन पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–174/XXIV–A–2/2026–03/2025 (E-97921) दिनांक 02 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाषनगर, दशोली के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **77.11 लाख (रूपये सततर लाख ग्यारह हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त 60% धनराशि 46.266 लाख (रूपये छियालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **46.266 लाख (रूपये छियालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा–201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 12732-37 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चमोली।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चमोली।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 12725-31 /बजट(139)/2025-26 दिनांक 09 मार्च, 2026

विषयः– **जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–176/XXIV–A–2/2026–03/2025 (E-91992) दिनांक 02 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **91.68 लाख (रूपये इक्यानबे लाख अड़सठ हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **91.68 लाख (रूपये इक्यानबे लाख अड़सठ हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 स0	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1	ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 रायगढ़ी	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	45.84
2	ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 करछों	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	45.84
				योग	**91.68**

(रूपये इक्यानबे लाख अड़सठ मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग--02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चमोली।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
देहरादून।

पत्रांक–नियोजन(04) / 12718-24 / बजट(139) / 2025–26 दिनांक 09 मार्च, 2026

विषयः– **जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति / धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–177 / XXIV–A–2 / 2026–02 / 2025 (E-85805) दिनांक 02 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार जनपद देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **69.92 लाख (रूपये उनहत्तर लाख बयानवे हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **69.92 लाख (रूपये उनहत्तर लाख बयानवे हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 स0	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	लागत (लाख में)
1	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 बद्रीपुर	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	33.05
2	रायपुर	रा0प्रा0वि0 बापूनगर जाखन	ग्रामीण निर्माण विभाग	पुनर्निर्माण	36.87
				योग	**69.92**

(रूपये उनहत्तर लाख बयानवे हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 / नियोजन(04) / / बजट (139) / 2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चमोली।

पत्रांक–नियोजन(04)/ – /बजट(139)/2025–26 दिनांक 09 मार्च, 2026

विषयः– <u>**जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।**</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–136/XXIV–A–2/2026–14/2025 (E-97989) दिनांक 02 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न तालिकानुसार जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 **84.566 लाख (रूपये चौरासी लाख छप्पन हजार छ सौ मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **84.566 लाख (रूपये चौरासी लाख छप्पन हजार छ सौ मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 स0	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य	कुल लागत (लाख में)	अवमुक्त की जा रही धनराशि (लाख में)
1	पोखरी	रा0उ0प्रा0वि0 पोखरी	सिंचाई विभाग	भवन पुनर्निर्माण	66.61	39.966
2	दशोली	रा0प्रा0वि0 सेमडुंग्रा	सिंचाई विभाग	भवन पुनर्निर्माण	44.60	44.60
				योग	**111.21**	**84.566**

(रूपये चौरासी लाख छप्पन हजार छ सौ मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा–201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 12738-44 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, चमोली।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चमोली।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,   बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ – /5क(02)/06/2025–26 दिनांक: 09 मार्च, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0 पोषण) योजनान्तर्गत पोषक मानकों के सुधार के संबंध में मैटेरियल कॉस्ट हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 135/XXIV-A-2/2026–25/2007Vol-1(E-69702) दिनांक 02 मार्च, 2026 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण) योजनान्तर्गत पोषक मानकों के सुधार के संबंध में मैटेरियल कॉस्ट हेतु रू0 5,78,18,830 (रुपये पाँच करोड़ अठ्ठहत्तर लाख अठ्ठारह हजार आठ सौ तीस मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 5,78,18,830 (रुपये पाँच करोड़ अठ्ठहत्तर लाख अठ्ठारह हजार आठ सौ तीस मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02–मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0– अर्थ–2/12745-50 /5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली।

पत्रांक– अर्थ–2/ — /5क(02)/03/2025–26 दिनांकः 28 फरवरी, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी दिनांक 09.04.2025 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में पूर्व आवंटन पश्चात् उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष **क्षेत्रीय निरीक्षण योजना** के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ रु0 50 हजार (रुपये पचास हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii (7)32/2007 टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग- 1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0–अर्थ–2/ 12353-58 /5क(02)/03/2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून, नैनीताल,
टिहरी।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/04/2025–26 दिनांकः 28 फरवरी, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों से प्राप्त बजट मांग/व्यय के आधार पर विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि के सापेक्ष रु0 110.003 हजार (रु0 एक लाख दस हजार तीन मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथा संशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

Digitally signed by Birendra Kumar
Date: 28-02-2026 12:57:55

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 256833 /5क(02)/04/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/ 256830 /5क(02)/04/2025–26 दिनांक 28 फरवरी, 2026

1– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना में कार्यरत कार्मिकों के 04–यात्रा व्यय मद मे आवंटित धनराशि का विवरण 22020110405

जनपद देहरादून

क0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	श्री बिजेन्द्र सिंह जयाड़ा, मु0प्रशा0अधि0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर	रायपुर	देहरादून	71362
				योग	71362

जनपद नैनीताल

क0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	–	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमताल	भीमताल	नैनीताल	3206
				योग	3206

जनपद टिहरी

क0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	प्रज्ञा वशिष्ठ, कीर्तिनगर	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	टिहरी	1435
				योग	1435
				महायोग	76003

Digitally signed by
Birendra Kumar
Date: 28-02-2026
12:56:37

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रेषक, **<u>बजट आवंटन</u>**

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रा0शि0 शिक्षा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून, नैनीताल,
पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊ0सिं0नगर।

पत्रांक– अर्थ–2/ – /5क(02)/04/2025–26 दिनांक:26 फरवरी, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 52–लघु निर्माण में रु0 150000 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 53439 हजार (रु0 पाँच करोड़ चौंतीस लाख उनतालीस हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– <u>बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये</u> और <u>इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।</u>

4– उक्तानुसार आवंटित <u>धनराशि के व्यय किये</u> जाने के पश्चात् व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– निर्माण सम्बन्धी आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

8– निर्माण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु पिछले पाँच वर्षों में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

9– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्माण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10– निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

11– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

12– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

13– निर्माण कार्य निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

14– कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

15– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

16– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by
Birendra Kumar
Date: 26-02-2026
13:29:22

भवदीय,
(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 255904 /5क(02)/04/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली, ऊ0सिं0नगर।

पत्रांक— अर्थ—2/ —— /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 26 फरवरी, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु0 625.031 हजार (रु0 छः लाख पच्चीस हजार इकतीस मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी कियें गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

Digitally signed by Birendra Kumar
Date: 26-02-2026 13:28:02

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/ 255902 /5क(02)/04/2025—26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/ 255870 /5क(02)/04/2025–26 दिनांक 26 फरवरी, 2026

1– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में कार्यरत कार्मिकों के 04–यात्रा व्यय एवं 09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद मे आवंटित धनराशि का विवरण (22020110104)

जनपद चमोली

क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्रीमती कुसुम आर्य, स0अ0	रा0प्रा0वि0, सनैड	नारायणबगड़	चमोली	0	304293
2.	श्रीमती कुसुम आर्य, स0अ0	रा0प्रा0वि0, सनैड	नारायणबगड़	चमोली	0	191689
3.	श्री दिनेश प्रसाद, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0, ऐरवाडी	कर्णप्रयाग	चमोली	0	30939
				योग	0	526921

जनपद ऊ0सिं0नगर

क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्रीमती सुमन, स0अ0	रा0प्रा0वि0, पी0ए0सी0 कैम्प	रुद्रपुर	ऊ0सिं0नगर	0	98110
				योग	0	98110
				महायोग	0	625031

Digitally signed by
Birendra Kumar
Date: 26-02-2026
12:49:35

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी, टिहरी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक— अर्थ—2/ ——— /5क(02)/03/2025—26 दिनांकः 26 फरवरी, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी दिनांक 09.04.2025 एवं शासनादेश संख्या 104/XXIV(1)–A-2/2026-14/2020 टी0सी0(E-99037) दिनांक 13.02.2026 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 में विभिन्न योजनाओं में मूल बजट एवं अनुपूरक में प्राविधानित बजट के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में पूर्व आवंटन पश्चात् उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण योजना के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ रु0 698 हजार (रुपये छः लाख अट्ठानवे हजार मात्र) की धनराशि, जिसमें जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा विगत वर्ष 2024—25 में 51—अनुरक्षण मद में रु0 1432 हजार की मांग के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त रु0 608 हजार भी सम्मिलित है, संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

5— अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है।

6— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

7— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

8— आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

9— अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

10— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

11— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

12— निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

13— अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

14— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

15— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by Birendra Kumar
Date: 26-02-2026 12:34:58

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0—अर्थ—2/ 255850 /5क(02)/03/2025—26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, चमोली, चम्पावत
पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी।

पत्रांक— अर्थ—2/ ___ /5क(02)/03/2025—26 दिनांक: 19 फरवरी, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी दिनांक 09.04.2025 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में पूर्व आवंटन पश्चात् उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण योजना के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ रू0 184.839 हजार (रुपये एक लाख चौरासी हजार आठ सौ उनतालीस मात्र) की धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXvii (7)32/2007 टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0—04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
Birendra Kumar
Date: 19-02-2026
15:25:01

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0–अर्थ–2/ 253348 /5क(02)/03/2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रा0शि0 शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ ______ /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 19 फरवरी, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 52—लघु निर्माण में रु0 150000 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 863 हजार (रु0 आठ लाख तिरेसठ हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर **(IFMS)** के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0—04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— निर्माण सम्बन्धी आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

8— निर्माण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु पिछले पाँच वर्षो में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

9— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन/

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10— निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

11— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

12— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

13— निर्माण कार्य निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

14— कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

15— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

16— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by Birendra Kumar
Date: 19-02-2026 15:23:14

भवदीय,
(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/ 253345 /5क(02)/04/ 2025—26/ दिनांकः— उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ ____ /5क(02)/12/2025—26 दिनांकः 19 फरवरी, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा—12(1)(सी0) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के फीस प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 68/XXIV-A-2/2026-05/2013T.C(E-49698) दिनांक 16.02.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा—12(1)(सी0) के अन्तर्गत अध्ययनरत् एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के फीस प्रतिपूर्ति व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष के आय—व्ययक में प्राविधानित बजट अनुदान संख्या—11 में रु0 1415700 हजार, अनुदान संख्या—30 में रु0 300000 हजार एवं अनुदान संख्या 31 में रु0 72600 हजार के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु क्रमशः अनुदान संख्या 11 में रु0 716860.430 हजार, अनुदान संख्या 30 में रु0 150000 हजार एवं अनुदान संख्या 31 में रु0 36300 हजार इस प्रकार कुल रु0 903160.430 हजार (रु0 नब्बे करोड़ इकतीस लाख साठ हजार चार सौ तीस मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि को अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा के अधीन सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः—

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— योजना का प्रत्येक वर्ष सोशल ऑडिट कराया जाये।

3— मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थियों के व्यापक सत्यापन के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जाये।

4— व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 यथासंशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5— Eligible छात्रों को ही इस योजना से लाभान्वित करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए प्रतिवर्ष एक Certain Percentage छात्रों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में भौतिक सत्यापन (Random verification) किया जायेगा तथा इसके परिणाम से प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

6— प्री—प्राइमरी के बारे में नीतिगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जायें तथा भारत सरकार से जो भी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है, उसको स्टेट ट्रेजरी में जमा करते हुए पूर्व में समायोजित धनराशि की पुष्टि भी सुनिश्चित की जाये।

7— धनराशि का नगद आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। धनराशि का एकमुश्त आहरण ई—कोष के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

8— विभाग द्वारा 03 माह के भीतर भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।

9— उपरोक्त के अतिरिक्त अनुदान संख्या—30 एवं 31 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्राविधानित उद्देश्यों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र—छात्राओं हेतु ही किया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बच्चों की प्रतिपूर्ति दिनांक 31—03—2026 से पूर्व कर ली जाये।

10– लाभार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में भुगतान सम्बन्धित अधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

11– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 (राजस्व) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत ब्यौरेवार शीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0 एवं शासनादेश।

Digitally signed by Birendra Kumar
Date: 19-02-2026 15:20:29

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 253340 /5क(02)/12/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4– "उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्" राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, बागेश्वर,
पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक— अर्थ—2/ 252177 /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 16 फरवरी, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22—कार्यालय व्यय में रु0 10000 हजार (रु0 एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत रा0प्रा0 विद्यालयों एवं उ0 प्रा0 विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु धनराशि रु0 1484 हजार (रु0 चौदह लाख चौरासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXvii(7)32/2007 टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0—04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः..2/—

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by
Birendra Kumar
Date: 16-02-2026
16:37:44

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 252177 /5क(02)/04/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक– अर्थ–2/ ____ /5क(02)/05/2025–26 दिनांकः 10 फरवरी, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद में बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 148/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 (E-52779) दिनांक 05.05.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि के सापेक्ष जनपद से प्राप्त अतिरिक्त बजट माँग के आधार पर माह जनवरी 2026 से फरवरी 2026 हेतु धनराशि रु0 15000000/– (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न आई0डी0 अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025, शासनादेश सं0– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. सम्बन्धित कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय–विवरण प्राप्त कराये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर धनराशि आवंटन किया जायेगा।

6– धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by
Birendra Kumar
Date: 10-02-2026
16:00:24

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 250542 /5क(02)/05/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़,
अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, टिहरी।

पत्रांक— अर्थ—2/ —— /5क(02)/13/2025—26 दिनांक 10 फरवरी, 2026

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51—अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से **रु0 22583 हजार (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख तेरासी हजार मात्र)** को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः—I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2— उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3— धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हा जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद—विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5— कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11–निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12–कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

13–वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by
Birendra Kumar
Date: 10-02-2026
15:59:09

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 250540 /5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली,
चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रप्रयाग,
उत्तरकाशी, ऊ०सिं० नगर।

पत्रांक— अर्थ—2/ ____ /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 10 फरवरी, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV—A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों से प्राप्त बजट मांग/व्यय के आधार पर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रु0 403.919 हजार (रु0 चार लाख तीन हजार नौ सौ उन्नीस मात्र) एवं रु0 231 हजार (रु0 दो लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वितीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0 / विवरण सूची

Digitally signed by Birendra Kumar Date: 10-02-2026 16:40:48

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2 / 250582 / 5क(02) / 04 / 2025–26 / दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/ /5क(02)/04/2025–26 दिनांक फरवरी, 2026

1– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में कार्यरत कार्मिकों के 04–यात्रा व्यय एवं 09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद मे आवंटित धनराशि का विवरण (22020110104)

जनपद हरिद्वार

क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद		
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्री उपेन्द्र पंवार, स0अ0	रा0प्रा0वि0, डांडा जलालपुर	भगवानपुर	हरिद्वार	0	30372
				योग	0	30372

जनपद ऊ0सिं0नगर

क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद		
					04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
1.	श्री श्यामा चरम, से0नि0 स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0, उमरूखुर्द	खटीमा	ऊ0सिं0नगर	1547	0
				योग	1547	0
				महायोग	1547	30372

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
बागेश्वर।

पत्रांक–नियोजन(04)/ /बजट(139)/2025–26 दिनांक 02 फरवरी, 2026

विषयः– राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर के चार कक्षा–कक्षों एवं हॉल का निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–83/XXIV–A–2/2026–08/2024(E–69743) दिनांक 30 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर के चार कक्षा–कक्षों एवं हॉल का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 **42.80 लाख (रूपये बयालीस लाख अस्सी हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **42.80 लाख (रूपये बयालीस लाख अस्सी हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0–524/XXIV–A–2/08/2024 (E–69743) दिनांक 11.12.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा–201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 11256-56 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, (बेसिक शिक्षा अनुभाग–02), उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, बागेश्वर।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/13/2025–26 दिनांक 22 जनवरी, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–321/2025 एवं 338/2025 के क्रियान्वन किये जाने हेतु मानक मद 51–अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 321/2025 एवं 338/2025 के क्रियान्वन किये जाने हेतु अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवटन पश्चात् अवशेष में से रु0 7098 हजार (रुपये सत्तर लाख अट्ठानवे हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें --

1-- वित्त विभाग के शासनादेश सख्या:--I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय--वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड--1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम सग्रह--05 भाग--1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2-- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3-- धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हा जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पॉच वर्षो में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5-- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

7– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोडी जाये।

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11–निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12–कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

13–वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर **(IFMS)** के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/10901-07 /5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांक:– उक्तवत्।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौडी गढवाल।

पत्रांक– अर्थ–2/ / /5क(02)/07/2025–26 दिनांकः 19 जनवरी, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या :141/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् उपलब्ध धनराशि में से रु0 279 हजार (रु0 दो लाख उनासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न आवंटन आई0डी0 अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप शिक्षा अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर के माध्यम से तत्काल आवंटित किया जाये। आवंटित धनराशि को प्रत्येक दशा में दिनांक 31–03–2026 तक निम्नानुसार व्यय कर लिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 944/VI-2/2011–21(6)/2011 दिनांक 16.12.2011 एवं 162/VI-3/2023–30(16)/2022 दिनांक 10 मार्च 2023 में निर्धारित किये गये मानकानुसार व्यय करवाना सुनिश्चित करें।

3– आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय से संबंधित देयक आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार संबंधित को वास्तविक भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि को निदेशालय को समर्पित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा, ऐसा किया जाने पर अथवा निदेशालय के संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी/पटल प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी।

4– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलॉटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलॉटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 07–खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 10784-88 /5क(02)/07/2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2–सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3–सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।
4–सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पौडी, पिथौरागढ़,
टिहरी, ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक- अर्थ-2/ ____ /5क(02)/13/2025-26 दिनांक 13 जनवरी, 2026

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों मे अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओ का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष मे से **रु0 18768 हजार (रुपये एक करोड़ सतासी लाख अड़सठ हजार मात्र)** को शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने के लिए सलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तो के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:-

1 वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह-05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशो आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा मे धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3- धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पॉच वर्षो में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद-विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- कार्य प्रारभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6- कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इत्तर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोडी जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11–निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12–कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

13–वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 मे उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 13-01-2026
13:49:51

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 241385 /5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांक.– उक्तवत्।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ —— /5क(02)/06/2025–26 दिनांकः 12 जनवरी, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी0एम0पोषण) योजनान्तर्गत प्राविधान के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 09/XXIV-A-2/2026-25/2007 टी0सी0 दिनांक 07 जनवरी, 2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी0एम0 पोषण) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में रु0 215383 हजार (रुपये इक्कीस करोड़ तिरेपन लाख तिरासी हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 में रु0 22193 हजार (रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख तिरानवे हजार मात्र), इस प्रकार कुल धनराशि रु0 237576 हजार (रुपये तेईस करोड़ पिचहत्तर लाख छियत्तर हजार मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानवार रु0 237576 हजार (रुपये तेईस करोड़ पिचहत्तर लाख छियत्तर हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5– योजना के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य पदार्थ तैयार कर उपलब्ध करवाया जाये।

6– योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

7– प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

8– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11,30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यकम के अंतर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 12-01-2026
11:01:46

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/240904/5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल, पौडी।

पत्रांक— अर्थ—2/ —— /5क(02)/04/2025—26 दिनांक: 03 जनवरी, 2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों से प्राप्त बजट माँग के आधार पर विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रू0 74.445 हजार (रू0 चौहत्तर हजार चार सौ पैंतालीस मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 03-01-2026
16:13:18

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/239070/5क(02)/04/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।		
अर्थ–2/ 239064 /5क(02)/04/2025–26 दिनांक 03 जनवरी, 2026		
1– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारियों की स्थापना योजनान्तर्गत 26–कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अनुक्षण मद में आवंटित धनराशि का विवरण (22020110405)		
जनपद व ब्लॉक	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	51–अनुरक्षण
नैनीताल		
भीमताल	60	-
योग	60	0
महायोग	60	0

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 03-01-2026
16:10:48

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/239068 /5क(02)/04/2025–26 दिनांक 03 जनवरी, 2026

1– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना में कार्यरत कार्मिकों के 04–यात्रा व्यय मद मे आवंटित धनराशि का विवरण 22020110405

जनपद पौड़ी गढ़वाल

क0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	श्री मनोज कुमार जोशी, उप शिक्षा अधिकारी	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय पोखड़ा	पोखड़ा	पौड़ी गढ़वाल	1220
2.	श्री रवि कुमार, उप शिक्षा अधिकारी	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय नैनीड	नैनीडांडा	पौड़ी गढ़वाल	430
3.	सुश्री किरन नेगी, उप शिक्षा अधिकारी	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय रिखण	रिखणीखाल	पौड़ी गढ़वाल	541
4.	श्री विकास कुमार शर्मा, प्रधान सहायक	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कल्ज	कल्जीखाल	पौड़ी गढ़वाल	12254
				योग	14445
				महायोग	14445

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 03-01-2026
16:12:04

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रा0शि0 शिक्षा, अल्मोड़ा, चमोली, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार,
नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ऊ0सिं0 नगर।

पत्रांक– अर्थ–2/ ——— /5क(02)/04/2025–26 दिनांकः 02 जनवरी, 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 52–लघु निर्माण में रु0 150000 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 16380 हजार (रु0 एक करोड़ तिरेसठ लाख अस्सी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– निर्माण सम्बन्धी आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

8– निर्माण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यो हेतु पिछले पॉच वर्षो में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

9– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन/

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10— निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

11— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाये, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

12— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

13— निर्माण कार्य निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

14— कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

15— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

16— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR
Date: 02-01-2026 12:59:05

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/238522/5क(02)/04/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1— वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी।

पत्रांक— अर्थ—2/ — /5क(02)/03/2025—26 दिनांकः 18 दिसम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी दिनांक 09.04.2025 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में पूर्व आवंटन पश्चात् उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण योजना के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ रु0 82 हजार (रुपये बयासी हजार मात्र) धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0—04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR (बीरेन्द्र कुमार)
Date: 18-12-2025 वित्त नियन्त्रक
11:21:34 विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0—अर्थ—2/ 234785 /5क(02)/03/2025—26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल।

पत्रांक– अर्थ–2/ - - /5क(02)/18/2025–26 दिनांकः 10 दिसम्बर, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु रु0 230000000/- (रु0 तेईस करोड़ मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष बजट में से रु0 863004/- (रु0 आठ लाख तिरेसठ हजार चार मात्र) धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आवंटित करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– आवंटित धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31–03–2026 तक करवाते हुए भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से संबंधित छात्र–छात्राओं को करवाने का कष्ट करें। भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब/लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

4– योजनान्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–5 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र कुल रु0 318/– मात्र (जूता मूल्य रु0 153/– एवं बैग मूल्य रु0 165/–) जबकि कक्षा–6 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र कुल रु0 462/– मात्र (जूता मूल्य रु0 187/– एवं बैग मूल्य रु0 275/–) का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

5– योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

6– यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

7– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

9– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

10– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

11— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 13—कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 10-12-2025
13:23:15

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/233046 /5क(02)/18/2025—26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून, पिथौरागढ,
टिहरी, चमोली, पौडी, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक - अर्थ--2/ /5क(02)/13/2025-26 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01 प्रारंभिक शिक्षा, 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12 प्राथमिक विद्यालयों मे अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51-अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष मे से रु0 13427 हजार (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एव प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करे:-

1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025 26 के आय-व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन, यथासशोधित), वित्तीय नियम संग्रह 05 भाग 1(लेखा नियम) आय-व्यय सबधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार सबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी सस्था को किया जायेगा एव किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

3- धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हा जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पॉच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद--विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4- विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6- कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7- बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोडी जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11–निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12–कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

13–वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/9171-77 /5क(02)/13/ 2025 26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल, उत्तरकाशी।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/04/2025–26 दिनांक: 10 दिसम्बर, 2025

विषय:– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों से प्राप्त बजट मॉंग के आधार पर विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु0 625 हजार (रु0 छः लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4– अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु पिछले पॉंच वर्षों में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

5– आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र फोटोग्राफ्स सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

7– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

8– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

क्रमश: पृष्ठ 2 पर

9— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 05—विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0— अर्थ—2/ 9166-70 /5क(02)/04/2025—26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/ 9166-70 /5क(02)/04/2025–26 दिनांक/0 दिसम्बर, 2025

1– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारियों की स्थापना योजनान्तर्गत 26–कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अनुक्षण एवं 51–अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि का विवरण (22020110405)

जनपद व ब्लॉक	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	51–अनुरक्षण
नैनीताल		
ओखलाकाण्डा	150	-
कोटाबाग	50	-
धारी	50	100
रामगढ	100	-
रामनगर	25	-
बेतालघाट	50	-
योग	425	100
उत्तरकाशी		
डुण्डा	50	-
मोरी	50	-
योग	100	0
महायोग	525	100

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून, ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक— अर्थ—2/ — /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 05 दिसम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रु0 5 हजार (रु0 पाँच हजार मात्र) एवं रु0 50 हजार (रु0 पचास हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR
Date: 05-12-2025 10:49:28

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 231538 /5क(02)/04/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रा0शि0 शिक्षा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार,
पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ऊ0सिं0 नगर, उत्तरकाशी।

पत्रांक— अर्थ—2 / ______ /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 0। ~~नवम्बर,~~ दिसम्बर 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 52—लघु निर्माण में रु0 150000 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 77316 हजार (रु0 सात करोड़ तिहत्तर लाख सोलह हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0—04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— निर्माण/अनुरक्षण सम्बन्धी आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

8— निर्माण/अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यो हेतु पिछले पाँच वर्षों में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

9— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन/

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10– निर्माण/अनुरक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

11– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

12– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

13– निर्माण/अनुरक्षण कार्य निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

14– कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

15– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

16– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 01-12-2025
16:51:35

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/230283/5क(02)/04/ 2025–26/ दिनांक:– उक्तवत्।
प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ —— /5क(02)/06/2025—26 दिनांक: 02 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 509/**XXIV-A-2/2025-25/2007/Vol-1(E-73720)** दिनांक 21 नवम्बर, 2025 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत 25013 भोजनमाताओं के मानदेय भुगतान हेतु रु0 150078 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 150078 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय—समय पर जारी किये गये समस्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4— स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5— योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

6— प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

7— वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02—मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42—अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 02-12-2025
13:10:37

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0– अर्थ–2/230474 /5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी, हरिद्वार।

पत्रांक– अर्थ–2/ - /5क(02)/05/2025–26 दिनांकः 21 नवम्बर, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में मा0 सर्वोच्च न्या0 नई दिल्ली एवं मा0 उच्च न्या0 के निर्णय के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जि0शि0अधि0, प्रा0शि0, टिहरी के पत्र संख्या 5492 दिनांक 17.10.2025 एवं जि0शि0अधि0, प्रा0शि0, हरिद्वार के पत्र सं0 3993–95 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0–(सिविल) डायरी संख्या–(s) 39856/2024 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम ममता शाह में मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 09.05.2025 के द्वारा दिनांक 07–03–2017 से वेतन भुगतान किये जाने के आदेश के क्रम में बजट मांग एवं माननीय न्यायालय में योजित याचिकाओं में पारित निर्णय एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या आ0/715–19/2024–25 दिनांक 31, मई 2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित याचीगणों के प्रकरणों, जिसमें वित्त विहीन सेवाओं को जोड़ते हुए चयन/प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर चयन/प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण करने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिकों को देय वेतन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु बजट मांग उपलब्ध करायी गयी है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 483/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 (E-52779) दिनांक 31.10.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी स्वीकृत धनराशि में से उपलब्ध बजट के सापेक्ष संबंधित रिट याचिकाओं के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या आ0/715–19/2024–25 दिनांक 31, मई 2024 के अनुपालन में जनपद से प्राप्त मांग के क्रम में कुल रू0 88713 हजार (रुपये आठ करोड़ सतासी लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न आई0डी0 अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025, शासनादेश सं0– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/ वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सम्बन्धित कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– किसी भी दशा में गलत आहरण किये जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारी के साथ–साथ सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

5– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

6– अवमुक्त की जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय–विवरण प्राप्त कराये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर धनराशि आवंटन किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

7– धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

8– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

9– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलॉटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 21-11-2025
12:12:14

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/227762/5क(02)/05/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, टिहरी, उत्तरकाशी।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/04/2025—26 दिनांक:21 नवम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपदों से प्राप्त बजट माँग के आधार पर विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रू0 840 हजार (रू0 आठ लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4— धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु पिछले पॉच वर्षो में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

5— आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र फोटोग्राफ्स सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

7— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

8— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

9– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न: बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 8331-35 /5क(02)/04/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/ 8551-55 /5क(02)/04/2025–26 दिनांक 21 नवम्बर, 2025

1– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारियों की स्थापना योजनान्तर्गत 51–अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि का विवरण (22020110405)

जनपद व ब्लॉक	51–अनुरक्षण
बागेश्वर	
बागेश्वर	100
कपकोट	100
गरूड	150
योग	**350**
चमोली	
दशोली	100
थराली	100
योग	**200**
चम्पावत	
पाटी	150
योग	**150**
टिहरी	
चम्बा	60
योग	**60**
उत्तरकाशी	
नौगांव	50
योग	**50**
महायोग	**810**

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली, पौड़ी, टिहरी।

पत्रांक— अर्थ—2/ ____ /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 21 नवम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22—कार्यालय व्यय में रु0 10000 हजार (रु0 एक करोड़ मात्र) एवं मानक मद 52—लघु निर्माण में रु0 150000 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत धनराशि रु0 2261 हजार (रु0 बाईस लाख इकसठ हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007 टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0—04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— निर्माण/अनुरक्षण सम्बन्धी आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

8— निर्माण/अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु पिछले पाँच वर्षों में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

9— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10— निर्माण/अनुरक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

11— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

12— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

13— निर्माण/अनुरक्षण कार्य निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

14— कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

15— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

16— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 21-11-2025
11:42:56

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/227739/5क(02)/04/2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,　　　बजट आवंटन

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/　　　　/5क(02)/06/2025—26　　　दिनांकः 21 नवम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाता वर्दी एवं भोजनमाता प्रोत्साहन राशि हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 510/XXIV-A-2/2025—25/2007/Vol-1(E-31850) दिनांक 18 नवम्बर, 2025 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाता वर्दी हेतु रु0 2,42,16,000 (रु0 दो करोड़ बयालीस लाख सोलह हजार मात्र) एवं भोजनमाता प्रोत्साहन राशि हेतु रु0 2,42,36,800 (रु0 दो करोड़ बयालीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र), इस प्रकार कुल रु0 4,84,52,800 (रु0 चार करोड़ चौरासी लाख बावन हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 4,84,52,800 (रु0 चार करोड़ चौरासी लाख बावन हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय—समय पर जारी किये गये समस्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4— स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5— योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

6— प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

7— वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02—मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42—अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0– अर्थ–2/ 8336-40 /5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।

4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ — /5क(02)/06/2025—26 दिनांकः 21 नवम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या **527/XXIV-A-2/2025–25/2007/Vol-1(E-73708)** दिनांक 14 नवम्बर, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रु0 51757.8** हजार (रुपये पाँच करोड़ सत्रह लाख सत्तावन हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार **रु0 51757.8** हजार (रुपये पाँच करोड़ सत्रह लाख सत्तावन हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय—समय पर जारी किये गये समस्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4— स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5— योजना के तहत छात्र—छात्राओं को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य पदार्थ तैयार कर उपलब्ध करवाया जाये।

6— योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

7— प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02–मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 21-11-2025
12:10:42

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/227761 /5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़।

पत्रांकः— अर्थ—2/ — /5क(02)/15/2025—26 21 दिनांकः नवम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मॉडल स्कूल योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के आय—व्ययक में व्यवस्थित धनराशि में से विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रदेश स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से मानक मद 51—अनुरक्षण में रु0 1856 हजार (रु0 अट्ठारह लाख छप्पन हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/ XXVII(7)32/2007 टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

3— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

4— आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

5— धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु पिछले पाँच वर्षों में किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा।

6— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7— कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

8— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

9— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

10— कार्य निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11— कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

12— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0—04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

13— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

14— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

15— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलॉटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 08—विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— बजट आवंटन आई0डी0

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 21-11-2025
11:37:07

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/227729/5क(02)/15/2025—26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
6— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/14/2025—26 दिनांकः 21 नवम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 397/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 15—09—2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि में से कक्षा—1 से कक्षा—8 तक के छात्रों हेतु पाठय—पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशन हेतु कॉपीराइट अनुमति के लिए एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली एवं प्रकाशन विभाग, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड को रॉयल्टी एवं उस पर जी0एस0टी0 के भुगतान हेतु कुल रू0 2,88,55,747/— (रू0 दो करोड़ अठासी लाख पचपन हजार सात सौ सैंतालीस मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017(यथासंशोधित) तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0— I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

5— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

6— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

7— अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

8— उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् किया जाये।

9— स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में यथाआवश्यकता, मितव्ययता ध्यान में रखकार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10— स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही व्यय किया जाये।

11— उक्त धनराशि इस प्रातिबन्ध के अधीन अवमुक्त की जा रही है कि प्रकरण के संबंध में शासन/विभाग स्तर से प्राप्त होने वाले अद्यतन दिशा—निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12— आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक निदेशालय को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण निदेशालय को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।

13— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन

जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण के मानक मद 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/8369-76 /5क(02)/14/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा .... ।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः13 नवम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रु0 20.570 हजार (रु0 बीस हजार पाँच सौ सत्तर मात्र) एवं रु0 988.552 हजार (रु0 नौ लाख अठासी हजार पाँच सौ बावन मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वितीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 8018-14 /5क(02)/04/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।					
अर्थ–2/8010-14 /5क(02)/04/2025–26 दिनांक 13 नवम्बर, 2025					
1– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में कार्यरत कार्मिकों के 09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद मे आवंटित धनराशि का विवरण (22020110104)					
जनपद पौड़ी					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	
					09–चिकि0प्रति0
1.	श्री बासवानन्द ध्यानी, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0, लोकमणिपुर	दुगड्डा	पौडी	20570
				योग	20570

2– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना में कार्यरत कार्मिकों के 04–यात्रा व्यय मद मे आवंटित धनराशि का विवरण 22020110405					
जनपद देहरादून					
क0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	श्री हिम्मत सिंह मनेशा, प्र0 सहा0	नगर शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर	रायपुर	देहरादून	11304
2.	श्री सुमन सिंह, क0स0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपु	रायपुर	देहरादून	14148
				योग	25452
जनपद टिहरी					
क0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि
					04–यात्रा भत्ता
1.	श्री टेचन कुमार, मु0प्र0अधि0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रताप	प्रतापनगर	टिहरी	3200
2.	श्री सुनील कार्की, उ0शि0अधि0	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय भिलं	भिलंगना	टिहरी	900
				योग	4100
				महायोग	29552

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/8010-14/5क(02)/04/2025–26 दिनांक 13 नवम्बर, 2025

2– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारियों की स्थापना योजनान्तर्गत मानक मदों में आवंटित धनराशि का विवरण (22020110405)

जनपद व ब्लॉक	मानक मद	
	21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर
बागेश्वर		
गरुड़	50	50
योग	50	50
चम्पावत		
पाटी	50	150
चम्पावत	-	25
लोहाघाट	-	70
बाराकोट	-	100
योग	50	345
महायोग	100	395

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चम्पावत।

पत्रांक–नियोजन(04)/ / बजट(139)/2025–26 दिनांक 13 नवम्बर, 2025

विषयः– **राजकीय प्राथमिक विद्यालय भजनपुर, जनपद चम्पावत के भवन पुनर्निर्माण हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–507/XXIV–A–2/2025–22/2023(E–59328) दिनांक 10 नवम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भजनपुर के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 **29.80 लाख (रूपये उनतीस लाख अस्सी हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **29.80 लाख (रूपये उनतीस लाख अस्सी हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0–643/XXIV–A–2/23–22/2023 (E–59328) दिनांक 04.10.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ ४०१२-२४ /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, (बेसिक शिक्षा अनुभाग–02), उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चम्पावत।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
चम्पावत।

पत्रांक–नियोजन(04)/ / /बजट(139)/2025–26 दिनांक 13 नवम्बर, 2025

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल फागपुर का रूपान्तरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जोयगा" के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–508/XXIV–A–2/2025–09/2024(E–76650) दिनांक 10 नवम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल का रूपान्तरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 **30.56 लाख (रूपये तीस लाख छप्पन हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **30.56 लाख (रूपये तीस लाख छप्पन हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0–536/XXIV–A–2/09/2024 (E–76650) दिनांक 18.11.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 4015-21 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, (बेसिक शिक्षा अनुभाग–02), उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, चम्पावत।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
देहरादून।

पत्रांक–नियोजन(04)/ /बजट(139)/2025–26 दिनांक 10 नवम्बर, 2025

विषयः– **राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं0 8 ऋषिकेश, विकासखण्ड डोईवाला के भवन पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–485/XXIV–A–2/2025–34/2021 दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं0 8 ऋषिकेश वि0ख0 डोईवाला, के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 **17.93 लाख (रूपये सत्रह लाख तिरानबे हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **17.93 लाख (रूपये सत्रह लाख तिरानबे हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0–794/XXIV–A–2/2021/34/2021 दिनांक 14.03.2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा–201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/7889-95 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/05/2025–26 दिनांकः 03 नवम्बर, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में मा0न्या0 के निर्णय के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जि0शि0अधि0, प्रा0शि0, नैनीताल के पत्र संख्या 4072–75 दिनांक 23.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा माननीय न्यायालय में योजित याचिकाओं में पारित निर्णय एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या आ0/715–19/2024–25 दिनांक 31, मई 2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित याचीगणों के प्रकरणों, जिसमें वित्त विहीन सेवाओं को जोड़ते हुए चयन/प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर चयन/प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण करने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिकों को देय वेतन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु बजट मांग उपलब्ध करायी गयी है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 483/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 (E-52779) दिनांक 31.10.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से उपलब्ध बजट के सापेक्ष संबंधित रिट याचिकाओं के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या आ0/715–19/2024–25 दिनांक 31, मई 2024 के अनुपालन में जनपदों से प्राप्त मांग के क्रम रू0 3972.113 हजार (रुपये उनतालीस लाख बहत्तर हजार एक सौ तेरह मात्र) की धनराशि उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न आई0डी0 अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025, शासनादेश सं0– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सम्बन्धित कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय–विवरण प्राप्त कराये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर धनराशि आवंटन किया जायेगा।

6– धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों

और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/7801-06 /5क(02)/05/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/05/2025–26 दिनांक:03 नवम्बर, 2025

विषय:– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 483/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 (E-52779) दिनांक 31.10.2025 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 683908 हजार (रू0 अड़सठ करोड़ उनचालीस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2025–26 में संबंधित विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतनादि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। मा0 न्या0 से सम्बन्धित प्रकरणों एवं ऐसे प्रकरण जिनमें निदेशालय स्तर से आहरण की नियमानुसार स्वीकृति अपेक्षित हो उनमें पृथक से बजट माँग निदेशालय को मय पत्रजात सहित उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही बजट आवंटन किया जाना संभव होगा। उक्तानुसार दिये गये निर्देश से इतर धनराशि व्यय किये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025, शासनादेश सं0– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय–विवरण प्राप्त कराये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर धनराशि आवंटन किया जायेगा।

6– धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों

और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 / नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0 / नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/7690-96/5क(02)/05/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ - — /5क(02)/06/2025—26 दिनांकः 30 अक्टूबर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी0एम0पोषण) योजनान्तर्गत प्राविधान के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 465/XXIV-A-2/2025—25/2007 टी0सी0 दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(पी0एम0 पोषण) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रु0 215383 हजार (रुपये इक्कीस करोड़ तिरेपन लाख तिरासी हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या—11, 30 एवं 31 में रु0 22193 हजार (रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख तिरानवे हजार मात्र), इस प्रकार कुल धनराशि रु0 237576 हजार (रुपये तेईस करोड़ पिचहत्तर लाख छियत्तर हजार मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवमुक्त धनराशि में से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानवार रु0 237576 हजार (रुपये तेईस करोड़ पिचहत्तर लाख छियत्तर हजार मात्र) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय—समय पर जारी किये गये समस्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4— स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5— योजना के अन्तर्गत छात्र—छात्राओं को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य पदार्थ तैयार कर उपलब्ध करवाया जाये।

6— योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

7— प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

8— वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11,30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 30-10-2025
16:18:26

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/222125/5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार, पौड़ी,
पिथौरागढ़, टिहरी।

पत्रांक— अर्थ—2/ —— /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 28 अक्टूबर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु0 203.355 हजार (रु0 दो लाख तीन हजार तीन सौ पचपन मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR Date: 28-10-2025 11:32:33

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0- अर्थ-2/221316/5क(02)/04/2025-26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4- सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/ 221314 /5क(02)/04/2025–26 दिनांक 28 अक्टूबर, 2025

1– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में कार्यरत कार्मिकों के 04–यात्रा व्यय एवं 09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद मे आवंटित धनराशि का विवरण (22020110104)

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	04–यात्रा भत्ता	09–चिकि0प्रति0
	जनपद हरिद्वार					
1.	श्री ज्योति राम, स0अ0	रा0प्रा0वि0, ठसका कला	नारसन	हरिद्वार	0	14402
2.	श्री आदेश कुमार, परि0	कार्या0 उप शिक्षा नारसन	नारसन	हरिद्वार	0	11474
				योग	0	25876
	जनपद पौड़ी					
1.	श्रीमती रीना पुण्डीर, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0, श्रीकोट	पौड़ी	पौड़ी	0	29824
				योग	0	29824
	जनपद पिथौरागढ़					
1.	श्री मुकेश सॉगुडी, स0अ0	रा0प्रा0वि0, बैरात–बैरन	बेरीनाग	पिथौरागढ़	0	113579
				योग	0	113579
	जनपद टिहरी					
1.	श्रीमती सावित्री जोशी, सेवानिवृत्त स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0, दिउली	कीर्तिनगर	टिहरी	10829	0
2.	साजिदा हसन, सेवानिवृत्त स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0, नन्दगांव	जाखणीधार	टिहरी	11172	0
3.	श्रीमती सरिता बडोनी, सेवानिवृत्त प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0, महेडा	थौलधार	टिहरी	12075	0
				योग	34076	0
				महायोग	34076	169279

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR
Date: 28-10-2025 11:31:25

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रेषक, बजट आवंटन

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा मे,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक-- अर्थ-2/ --- /5क(02)/06/2025-26 दिनांक: 15 अक्टूबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 मे मुख्यमंत्री अमृत आँचल योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयो मे कक्षा-1 से कक्षा-8 तक अध्ययनरत छात्र--छात्राओ को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सख्या 412/XXIV-A-2/2025-25/2007/Vol-1(E-51835) दिनाक 30 सितम्बर 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 मे "मुख्यमंत्री अमृत आँचल" योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयो मे कक्षा--1 से कक्षा--8 तक अध्ययनरत छात्र--छात्राओ को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 64314.239 हजार (रुपये छः करोड़ तैंतालीस लाख चौदह हजार दो सौ उनतालीस मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सलग्नक मे उल्लिखित विवरणानुसार रु0 64314.239 हजार (रुपये छः करोड़ तैंतालीस लाख चौदह हजार दो सौ उनतालीस मात्र) की धनराशि शासनादेश मे उल्लिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धो के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2- आहरण एव व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा मे प्रकरण मे मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एव व्यय मे भारत/राज्य सरकार एव वित्त विभाग के शासनादेश सख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनाक 31 मार्च 2025 एव शासनादेश सख्या 469/2022 दिनाक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासशोधित, वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम सग्रह--05 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसगत शासनादेशो आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3- योजनान्तर्गत आवटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय-समय पर जारी किये गये समस्त दिशा--निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण एव व्यय, मासिक अथवा किस्तो मे वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा मे अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5- योजना के तहत छात्र-छात्राओं को निर्धारित मानक के अनुसार ही फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध करवाया जाये।

6- योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

7- प्रत्येक माह मे मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एव बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश सख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023–ई 47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम मे ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशो मे उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयो मे मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02–मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओ हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

सलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 15-10-2025
15:50:12

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0स0– अर्थ–2/219016 /5क(02)/06/2025–26/दिनाक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेडा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)
देहरादून।

पत्रांक–नियोजन(04)/ /बजट(139)/2025–26 दिनांक ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2025

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय काण्डी, विकासखण्ड कालसी के भवन मरम्मत कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्याः– 406/XXIV-A-2/09/2025(E–91992) दिनांक 24 सितम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय काण्डी, विकासखण्ड कालसी के भवन मरम्मत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 11.73 लाख (रूपये ग्यारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 11.73 लाख (रूपये ग्यारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **Computer Generated ID.**

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/7055-61 /बजट(139)/2025–26 दिनांक उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।

2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
5. वित अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0)
पिथौरागढ़।

पत्रांक–नियोजन(04)/7037-43 /बजट(139)/2025–26 दिनांक 13 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2025

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्याः–407/XXIV-A-2/03/2025(E–87911) दिनांक 25 सितम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपद पिथौरागढ़ के निम्न विवरणानुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 270.80 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 270.80 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.स.	विद्यालय का नाम	विद्यालय की श्रेणी	कार्य	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	रा0प्रा0वि0 झूणी	डी	भवन पुनर्निर्माण	38.50
2	रा0प्रा0वि0 मड़खड़ायत	डी	भवन पुनर्निर्माण	46.80
3	रा0प्रा0वि0 राथी बोरागांव	डी	भवन पुनर्निर्माण	35.00
4	रा0प्रा0वि0 सिर्खा	डी	भवन पुनर्निर्माण	35.00
5	रा0प्रा0वि0 मोडी	डी	भवन पुनर्निर्माण	38.50
6	रा0प्रा0वि0 मेर्थी	डी	भवन पुनर्निर्माण	38.50
7	रा0प्रा0वि0 धाराकौली	डी	भवन पुनर्निर्माण	38.50
			योग	270.80

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **Computer Generated ID.**

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 / नियोजन(04) / 7037-43 / बजट(139) / 2025–26 दिनांक उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी पिथौगराढ़।
5. वित अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

सूचना प्रकोष्ठ

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...

पत्रांक— अर्थ—2/ ___ /5क(02)/14/2025—26 दिनांकः 29 सितम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 397/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 15—09—2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजना विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियोजन अनुभाग से प्राप्त जनपदवार प्रस्तावित बजट के अनुसार **रू0 32,00,00,000/—(रू0 बत्तीस करोड़ मात्र)** की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न **(बजट आवंटन आई0डी0)** विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से शैक्षिक सत्र 2025—26 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मुद्रण हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित फर्मो को नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017(यथासंशोधित) तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 **(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित)**, वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

5— योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकार किया जाये।

6— **बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।**

7— अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

8— उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् किया जाये।

9— स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में यथाआवश्यकता, मितव्ययता ध्यान में रखकार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10— स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही व्यय किया जाये।

11— उक्त धनराशि इस प्रातिबन्ध के अधीन अवमुक्त की जा रही है कि प्रकरण के संबंध में शासन/विभाग स्तर से प्राप्त होने वाले अद्यतन दिशा—निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12— पाठ्य पुस्तकों की पेपर क्वालिटी मानकानुसार रखी जाये। मुद्रण एवं अन्य प्रकरण की अनियमितता हेतु सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

13— बुक बैंक की स्थापना हेतु सम्बनिधत प्रधानाचार्य/खण्ड शिक्षा अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी को व्यापक निर्देशों के साथ निर्देशित कर लिया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

14– यदि बुक बैंक की स्थापना हेतु शासन/विभाग के निर्देशों की आवश्यकता हो तो, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

15– चालू शैक्षिक सत्र में छात्र–छात्राओं को आवंटित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों को अगले सत्र के प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर विद्यालय में स्थापित बुक बैंक में जमा कराते हुए उनके संरक्षण हेतु सुनियोजित कार्ययोजना तैयार की जाये। चालू शैक्षिक सत्र की समाप्ति से पूर्व बुक बैंक में संरक्षित पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

16– यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की उपयोगिता का लाभ वास्तविक रूप से लाभार्थी को प्राप्त हो।

17– शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु पात्र छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, इस हेतु सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमों के अधीन पूरी प्रक्रिया समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एक समय–सारणी तैयार करें, जिससे कि शैक्षिक सत्र शुरू होने से पूर्व पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों में पात्र छात्र–छात्राओं को उपलब्ध हो सकें। विलम्ब की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

18– अवमुक्त की जा रही धनराशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 तथा गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के सभी लम्बित बिलों का भुगतान कर लिया जायेगा। इसके पश्चात् भी प्रकरण में यदि कोई देयता शेष रहती है तो इसके लिए आप पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

19– आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक निदेशालय को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण निदेशालय को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।

20– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठय पुस्तक का वितरण के मानक मद 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/6579-86/5क(02)/14/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, बजट आवटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

1— अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौडी।

पत्रांक— अर्थ–2/ ——— /5क(02)/03/2025–26 दिनांक 25 सितम्बर, 2025

विषयः— कार्यालय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के परिसर की क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल, परिसर भवन का मरम्मत कार्य एवं शौचालय मरम्मत कार्य के आंगणन के अनुसार बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र स0–2335 दिनांक 03 सितम्बर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण योजनान्तर्गत अनुरक्षण मद में उल्लिखित कार्यों हेतु बजट मॉग की गई है। प्राप्त आंगणन/टी0ए0सी0 के आधार पर बजट मॉग रु0 635 हजार मात्र के सापेक्ष पूर्व में आवंटित रु0 250 हजार मात्र को समायोजित करते हुए रु0 385 हजार (रुपये तीन लाख पिचासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7) 32/2007टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसगत शासनादेशो आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4— उक्तानुसार आवंटित अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते मे नहीं रखा जायेगा।

5— अनुरक्षण सम्बन्धी धनराशि व्यय करने से पूर्व कडाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है।

6— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमो के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

7— मितव्ययता के संबध में जारी किये गये शासनादेशो अथवा भविष्य मे जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

8— आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

9— अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

10– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

11– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

12– निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

13– अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

14– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदो में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

15– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।
संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 25-09-2025
15:54:28

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0–अर्थ–2/213523/5क(02)/03/2025–26 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी
उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली।

पत्रांक— अर्थ—2 / — /5क(02) / 13 / 2025—26 दिनांक 23 सितम्बर, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298 / XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51—अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित / अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु0 33485 हजार (रुपये तीन करोड़ चौंतीस लाख पिचासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:—I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2— उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3— धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हा जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण / निर्माण कार्य हेतु विभाग / सांसद—विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4— विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन / निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5— कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6— कार्य पर मदवार उतना ही आहरण / व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल / वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

7— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11–निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12–कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

13–वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 23-09-2025
10:58:00

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/212341 /5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांक:– उक्तवत्।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक– अर्थ–2/ —— /5क(02)/15/2025–26 दिनांक 11 सितम्बर, 2025

विषय:– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत मॉडल स्कूल योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि में से विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रदेश स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से रु0 4757 हजार (रु0 सैंतालीस लाख सतावन हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशो आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

4– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

5– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान सख्या–11

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 08—विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— बजट आवंटन आई0डी0

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 11-09-2025
15:38:39

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/209507/5क(02)/15/2025—26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।

6— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा.......................,

पत्रांक– अर्थ–2/ —— /5क(02)/07/2025–26 दिनांक: 11 सितम्बर, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या :141/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 मे प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन खेल प्रतियोगिता का आयोजन योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना के अन्तर्गत धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एव प्रतिबन्धों के अधीन "संलग्न विवरण" के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न विवरण के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप शिक्षा अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर के माध्यम से तत्काल आवंटित किया जाये। आवंटित धनराशि को प्रत्येक दशा में दिनांक 31–03–2026 तक निम्नानुसार व्यय कर लिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– संलग्न विवरण के तालिका के कॉलम संख्या 4 एवं 6 मे आवंटित धनराशि उप शिक्षा अधिकारियों को एवं कॉलम संख्या 7, 9, 10 एवं 11 में आवंटित धनराशि को जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित की जायेगी।

3– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 944/VI-2/2011–21(6)/2011 दिनांक 16.12.2011 एवं 162/VI-3/2023–30(16)/2022 दिनांक 10 मार्च 2023 में निर्धारित किये गये मानकानुसार व्यय करवाना सुनिश्चित करें।

4– आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय से संबंधित देयक आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार संबंधित को वास्तविक भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि को निदेशालय को समर्पित किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा, ऐसा किया जाने पर अथवा निदेशालय के संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी/पटल प्रभारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की सस्तुति कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी।

5– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनाक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 07–खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन के अधीन सुसगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवटन विवरण, अलाटमैंट आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 11-09-2025
15:36:37

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/209505 /5क(02)/07/2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2–सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3–सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।
4–सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।
अर्थ–2/5क(02)/209506 /07/2025–26 दिनाक: 11–09–2025

धनराशि आवंटन का विवरण

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अधीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन योजना में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की संकुल स्तर से राज्य स्तर तक होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के संचालन किये जाने में होने वाले व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

वर्ष 2025–26 में संकुल स्तर से जनपद स्तर तथा जनपद से राज्य स्तर तक होने वाले खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में किये जाने वाले व्यय हेतु आवंटित धनराशि का विवरण।

योजना : खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन लेखाशीर्षक 22020110107 धनराशि रुपये में

क्र. सं.	जनपद का नाम	संकुलों की संख्या	देय धनराशि @3000 रू0 प्रति संकुल (आवंटन विकासखण्ड)	विकासखण्ड संख्या	देय धनराशि प्रति विकासखण्ड@ 15000 रू0 प्रति ब्लॉक (आवंटन विकासखण्ड)	जनपद स्तरीय प्रतियोगिता हेतु	जनपद द्वारा राज्य में प्रतिभाग करने हेतु 175 प्रतिभागियों का अनुमानित किराया, कॉलम 8 में अंकित दर से आने एवं जाने हेतु (जि.शि.अ. प्रा.शि.कार्या) (आवंटन जनपद)		राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु 175 प्रतिभागी दैनिक भत्ता 175x250x4 दिन (जि.शि.अ. प्रा शि. कार्या)(आवंटन जनपद)	राज्यस्तरीय प्रति हेतु अग्रिम धनराशि (जि.शि.अ प्रा.शि. कार्या) (आवंटन जनपद)	महायोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अल्मोड़ा	95	2,85,000	11	1,65,000	83,000	730	2,55,500	1,75,000		9,63,500
2	बागेश्वर	35	1,05,000	3	45,000	59,000	745	2,60,750	1,75,000		6,44,750
3	चम्पावत	24	72,000	4	60,000	62,000	815	2,85,250	1,75,000		6,54,250
4	चमोली	39	1,17,000	9	1,35,000	77,000	575	2,01,250	1,75,000		7,05,250
5	देहरादून	36	1,08,000	6	90,000	68,000	100	35,000	1,75,000	5,00,000	9,76,000
6	हरिद्वार	46	1,38,000	6	90,000	68,000	115	40,250	1,75,000		5,11,250
7	नैनीताल	43	1,29,000	8	1,20,000	74,000	615	2,15,250	1,75,000		7,13,250
8	पौड़ी	115	3,45,000	15	2,25,000	95,000	295	1,03,250	1,75,000		9,43,250
9	पिथौरागढ़	64	1,92,000	8	1,20,000	74,000	985	3,44,750	1,75,000		9,05,750
10	रूद्रप्रयाग	27	81,000	3	45,000	59,000	410	1,43,500	1,75,000		5,03,500
11	टिहरी	75	2,25,000	9	1,35,000	77,000	265	92,750	1,75,000		7,04,750
12	उधमसिंह नगर	27	81,000	7	1,05,000	71,000	480	1,68,000	1,75,000		6,00,000
13	उत्तरकाशी	36	1,08,000	6	90,000	68,000	355	1,24,250	1,75,000		5,65,250
योग		662	19,86,000	95	14,25,000	9,35,000	6,485	22,69,750	22,75,000	5,00,000	93,90,750

(रुपये तेरानबे लाख नब्बे हजार सात सौ पचास मात्र)

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR
Date: 11-09-2025 15:37

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1– अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
2– वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक– अर्थ–2/ / /5क(02)/03/2025–26 दिनांकः 10 सितम्बर, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी दिनांक 09.04.2025 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष **क्षेत्रीय निरीक्षण योजना** के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ **रु0 1980 हजार (रुपये उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र)** धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVii(7)32/ 2007टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– **बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।**

4– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0–अर्थ–2/5951-56/5क(02)/03/2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

पत्रांक– अर्थ–2/ / /5क(02)/13/2025–26 दिनांक 01 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 के क्रियान्वन किये जाने के लिए जनपद चम्पावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रूपांतरण कार्य कराये जाने हेतु मानक मद 51–अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन के पत्र संख्या 70/xxiv-A-2/2024–09/2023 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–281/2022 के क्रम में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 150000 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु0 7083 हजार (रुपये सत्तर लाख तेरासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– उक्त विद्यालयों में कराये जाने वाले कार्य की आवश्यकता, लागत, कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के सदुपयोग का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा का होगा साथ ही उक्त कार्य वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 323/XXVII(7)/19–50(07)/2019 दिनांक 20–09–2019 एवं समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार ही कराये जायेंगे।

2– उक्त विद्यालयों में जिला योजना, राज्य योजना, MLALADS, MPLADS, समग्र शिक्षा इत्यादि किसी भी मद से यदि धनराशि पूर्व वित्तीय वर्ष या घोषणा के पश्चात जारी की जा चुकी है, तो उन विद्यालयों को रूपान्तरण की परिभाषा में तो सम्मिलित कर लिया जाये, किन्तु धनराशि केवल अन्य प्रस्तावित विद्यालयों हेतु ही रु0 पाँच लाख प्रति विद्यालय की सीमा तक मरम्मत/रूपान्तरण कार्य हेतु ही धनराशि अवमुक्त की जाये।

3– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यो हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

5– उक्त अनुरक्षण कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन्न/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

9– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

10– निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11– कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

12– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

13– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

14– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/5460-65/5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 5509-15 /बजट(139)/2025–26 दिनांक 02 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2025

विषयः– <u>राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झड़गांव तल्ला, ओखलकाण्डा, नैनीताल के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनांवटन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–355/XXIV–A–2/02/2025(E–85805) दिनांक 26 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झड़गांव तल्ला, वि0ख0 ओखलकाण्डा, जनपद नैनीताल के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 **46.54 लाख (रूपये छियालीस लाख चौवन मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **46.54 लाख (रूपये छियालीस लाख चौवन मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 5509-15 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/05/2025–26 दिनांक:२१ अगस्त, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद में बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 148/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 (E-52779) दिनांक 05.05.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से जनपद से प्राप्त बजट माँग के आधार पर माह अगस्त 2025 तक के वेतन के लिए आवश्यकता से न्यून धनराशि उपलब्ध होने से एवं सितम्बर 2025 से फरवरी 2025 की कुल बजट माँग के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रु0 17649789/– (रुपये एक करोड़ छियत्तर लाख उनचास हजार सात सौ नवासी मात्र) उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न आई0डी0 अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025, शासनादेश सं0– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2– सम्बन्धित कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।
3– अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
4– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।
5– अवमुक्त की जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय–विवरण प्राप्त कराये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर धनराशि आवंटन किया जायेगा।
6– धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 5848-54 /5क(02)/05/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा ....।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 25 अगस्त, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षा मित्रों के **मासिक मानदेय का भुगतान** योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्रमशः तालिकानुसार **रु0 578. 776 हजार (रु0 पाँच लाख अठहत्तर हजार सात सौ छियत्तर मात्र)** एवं **रु0 480 हजार (रु0 चार लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर **(IFMS)** के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(**वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022**), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 18–शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0 / विवरण सूची

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2 / 5159-63 / 5क(02) / 04 / 2025–26 / दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/ 5159-63 /5क(02)/04/2025–26 दिनांक 25 अगस्त, 2025

1– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में कार्यरत कार्मिकों के 09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद मे आवंटित धनराशि का विवरण (22020110104)

जनपद बागेश्वर					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 में)
					09–चिकि0प्रति0
1.	श्री गणेश चन्द्र, स0अ0	रा0प्रा0वि0, जगथाना	कपकोट	बागेश्वर	30462
2.	श्री विनोद सिंह, स0अ0	रा0प्रा0वि0, रातिर	कपकोट	बागेश्वर	120972
				योग	151434
जनपद हरिद्वार					
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 में)
					09–चिकि0प्रति0
1.	श्रीमति नीलम गुप्ता, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0, बहमपुरी	बहादराबाद	हरिद्वार	151229
2.	श्री विजय कुमार, स0अ0	रा0प्रा0वि0, रणसूरा	बहादराबाद	हरिद्वार	56448
3.	श्री अरविन्द घमोला, स0अ0	रा0आ0प्रा0वि0, सुसाडी	नारसन	हरिद्वार	142665
				योग	350342
				महायोग	501776

रु0 पाँच लाख एक हजार सात सौ छियत्तर मात्र

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
पिथौरागढ़।

पत्रांक–नियोजन(04)/ /बजट(139)/2025–26 दिनांक 22 अगस्त, 2025

विषयः– **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दिगतोली, विकासखण्ड बिण के भवन मरम्मत कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–330/XXIV–A–2/07/2025(E–88145) दिनांक 06 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद पिथैरागढ़ के निम्नानुसार भवन मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक मे 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 **14.19 लाख (रूपये चौदह लाख उन्नीस हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **14.19 लाख (रूपये चौदह लाख उन्नीस हजार मात्र)** को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	पिथौरागढ़	बिण	रा0उ0प्रा0वि0 दिगतोली	भवन मरम्मत	14.19
योग					**14.19**

(रूपये चौदह लाख उन्नीस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा मे अविलम्ब समर्पित किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा–03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 5093-99 /बजट (139)/2025–26 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/05/2025—26 दिनांक: 19 अगस्त, 2025

विषय:— वित्तीय वर्ष 2025—26 में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका में योजित अवमानना वाद संख्या 233/2025 के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई—स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के 05—वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद में बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 148/XXIV(1)—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 (E-52779) दिनांक 05.05.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—वययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07—विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02—सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05—वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से उपलब्ध बजट के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका में योजित अवमानना वाद संख्या 233/2025 रणजीत सिंह नेगी बनाम रविनाथ रामन, सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं अन्य के दृष्टिगत जनपद से प्राप्त बजट माँग के आधार पर रू0 10000000/— (रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न आई0डी0 अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या— I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025, शासनादेश सं0— I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय—समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— सम्बन्धित कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3— अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4— वित्तीय वर्ष 2025—26 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0—04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

5— अवमुक्त की जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय—विवरण प्राप्त कराये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर धनराशि आवंटन किया जायेगा।

6— धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

7— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 5004-10 /5क(02)/05/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा ....।

पत्रांक— अर्थ—2 / /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 12 अगस्त, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रु0 625.730 हजार (रु0 छः लाख पच्चीस हजार सात सौ तीस मात्र) एवं रु0 2745 हजार (रु0 सत्ताईस लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4— बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025--26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0 / विवरण सूची

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 4731-35 /5क(02)/04/2025–26/ दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/4731-35/5क(02)/04/2025–26 दिनांक 12 अगस्त, 2025

1– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में कार्यरत कार्मिकों के 04–यात्रा भत्ता मद एवं 09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद मे आवंटित धनराशि का विवरण (22020110104)

	जनपद हरिद्वार				
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 मे)
					09–चिकि0प्रति0
1.	श्री विनय कुमार, स0अ0	रा0प्रा0वि0, मंगलौर, नारसन		हरिद्वार	191643
2.	श्री शहबाज अली, स0अ0	रा0प्रा0वि0, राजपुर बहादराबाद		हरिद्वार	8870
				योग	200513
	जनपद पौड़ी गढ़वाल				
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 मे)
					09–चिकि0प्रति0
1.	स्व0 श्री सतीशचन्द्र डोबरियाल, प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0, डुंक	कल्जीखाल	पौड़ी गढ़वाल	95217
2.	श्रीमती मंजूषा बौंठयाल, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0नं0–7 नगरक्षेत्र कोटद्वार	दुगड्डा	~~टिहरी~~ गढ़वाल	129214
				योग	224431
	जनपद उत्तरकाशी				
क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि (रु0 मे)
					09–चिकि0प्रति0
1.	श्री जगदम्बा प्रसाद नौटियाल, स0अ0	रा0प्रा0वि0, गढ़थाती	डुण्डा	उत्तरकाशी	150786
				योग	150786
				महायोग	575730

रु0 पाँच लाख पिचहत्तर हजार सात सौ तीस मात्र

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ–2/4781-85/5क(02)/04/2025–26 दिनांक 12-अगस्त, 2025

1– विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारियों की स्थापना योजनान्तर्गत मानक मदों में आवंटित धनराशि का विवरण (22020110405)

जनपद व ब्लॉक	मानक मद				
	04–यात्रा व्यय	21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	51–अनुरक्षण
चमोली					
जोशीमठ	-	40	-	50	-
गैरसैण	-	40	-		50
नारायणबगड़	-	-	50		-
थराली	-	40	-		-
देवाल	-	40	-		-
योग	-	160	50	50	50
टिहरी					
जाखणीधार	-	40	-	-	-
देवप्रयाग	-	40	-	-	50
प्रतापनगर	5			-	
योग	5	80	-	-	50
ऊधम सिंह नगर					
गदरपुर	-	-	50	-	-
बाजपुर	-	-	50	-	-
योग		-	100	-	-
उत्तरकाशी					
भटवाडी	-	20	50	-	20
डुण्डा	-	40	-	-	-
चिन्यालीसौड	-	-	-	-	50
नौगांव	-	40	-	-	-
मोरी	-	40	-	-	50
योग		140	50	-	120
देहरादून					
डोईवाला	10	-	60	-	-
सहसपुर	-	-	80	-	-
विकासनगर	-	-	80	-	-
चकराता	-	-	100	-	-
कालसी	-			75	
योग	10	-	320	75	-
पौड़ी					
कल्जीखाल	-	-	50	-	-
कोट	-	-	50	-	-
पाबौ	-	40	50	-	-
नैनीडांडा	40	40	-	-	-
दुगड्डा	-	40	-	-	-
यमकेश्वर	-	40	-	-	-
पोखड़ा	-	40	-	-	-
जयहरीखाल	-	40	-	-	-
द्वारीखाल	-	-	50	-	-
रिखणीखाल	-	40	-	-	-
खिर्सू	-	-	50	-	-
योग	40	280	250	-	-
अल्मोड़ा					
धौलादेवी	-	40	50	-	-
सल्ट	-	40	50	-	200
चौखुटिया	-	-	-	-	150
ताड़ीखेत	-	40	-	-	-
योग	-	120	100	-	350

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

PTO

जनपद व ब्लॉक		मानक मद			
	04–यात्रा व्यय	21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	51–अनुरक्षण
चम्पावत					
पाटी	-	40	50	-	-
चम्पावत	-	40	50	-	-
लोहाघाट	-	-	-	-	-
बाराकोट	55	40	-	-	20
योग	55	120	50	-	-
महायोग	110	900	150	-	20
			1020	125	590

वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, बागेश्वर,
पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक– अर्थ–2 / /5क(02)/04/2025–26 दिनांकः 01 अगस्त, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अनुदान सं0–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अधीन मानक मद 22–कार्यालय व्यय में रु0 10000 हजार (रु0 एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत रा0प्रा0 विद्यालयों एवं उ0 प्रा0 विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु धनराशि रु0 1217.5 हजार (रु0 बारह लाख सत्रह हजार पाँच सौ मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर (IFMS) के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007 टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः..2/–

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 4375-81 /5क(02)/04/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा.............................।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/13/2025–26 दिनांक 01 अगस्त, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 20000 हजार (रु0 दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष रु0 19975 हजार (रु0 एक करोड़ निन्यान्वे लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः.2/–

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0—अर्थ—2/ 4368-74 /5क(02)/13/ 2025—26/ दिनांकः— उक्तवत्।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ 196851 /5क(02)/06/2025–26 दिनांक: 01 अगस्त ~~जुलाई~~ 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सख्या 322/XXIV-A-2/2025–25/2007/Vol-1(E-73720) दिनांक 23 जुलाई, 2025 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत 25013 भोजनमाताओं के मानदेय भुगतान हेतु रु0 141278 हजार (रुपये चौदह करोड़ बारह लाख अठ्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 141278 हजार (रुपये चौदह करोड़ बारह लाख अठ्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिवन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2– आहरण एव व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एव व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एव शासनादेश सख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम सग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशो आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5– योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

6– प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

7– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02–मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

Digitally signed by
BIRENDRA KUMAR
Date: 01-08-2025
12:40:25

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमश पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0– अर्थ–2/196851 /5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेडा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/195923/5क(02)/06/2025–26 दिनांक: 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 323/XXIV-A-2/2025–25/2007/Vol-1(E-73708) दिनांक 23 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 51757.8 हजार (रुपये पाँच करोड़ सत्रह लाख सत्तावन हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 51757.8 हजार (रुपये पाँच करोड़ सत्रह लाख सत्तावन हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2– आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनाक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5– योजना के तहत छात्र–छात्राओं को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य पदार्थ तैयार कर उपलब्ध करवाया जाये।

6– योजना का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कराया जाये।

7– प्रत्येक माह में मासिक सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8— वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018 /2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02—मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42—अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR
Date: 29-07-2025 10:54:15

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/195923 /5क(02)/06/2025—26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/06/2025—26 दिनांकः 24 जुलाई, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0 पोषण) योजनान्तर्गत पोषक मानकों के सुधार के संबंध में मैटेरियल कॉस्ट हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 318/XXIV-A-2/25—25/2007/Vol-1(E-69702) दिनांक 18 जुलाई, 2025 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण) योजनान्तर्गत पोषक मानकों के सुधार के संबंध में मैटेरियल कॉस्ट हेतु रू0 5,58,75,341 (रुपये पाँच करोड़ अट्ठावन लाख पिचहत्तर हजार तीन सौ इकतालीस मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 5,58,75,341 (रुपये पाँच करोड़ अट्ठावन लाख पिचहत्तर हजार तीन सौ इकतालीस मात्र) की धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर निम्नानुसार रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1— उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा किया जायेगा।

2— आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के लिए उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या 469/2022 दिनांक 09.12.2022, शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय—समय पर जारी किये गये समस्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4— स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाये।

5— वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित किया जाना है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 112—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02—मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी/मानदेय के मानक मद 42—अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0– अर्थ–2/ 4230-35/5क(02)/06/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– राज्य परियोजना निदेशक, प्रधानमंत्री पोषण प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

समस्त वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पत्रांक– अर्थ–2/ 3897-903 /5क(02)/13/2025–26 दिनांक 14 जुलाई 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृत धनराशि में से रु0 22000 हजार(रु0 दो करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संबंधित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं हेतु फर्नीचर क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0–I दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्रमशः.2/–

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ 3897-903 /5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

बजट आवंटन

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1– अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
2– वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/03/2025–26 दिनांकः 08 जुलाई, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी दिनांक 09.04.2025 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण योजना के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ रु0 3435 हजार (रुपये चौंतीस लाख पैंतीस हजार मात्र) धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4– उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0–04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 03–क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0–अर्थ–2/ 8776-81 /5क(02)/03/2025–26 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक– अर्थ–2/ ———— /5क(02)/18/2025–26 दिनांक: 04 जुलाई, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग की धनराशि डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु रू0 230000000/- (रू0 तेईस करोड़ मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 206006130/- (रू0 बीस करोड़ साठ लाख छः हजार एक सौ तीस मात्र) धनराशि शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न (बजट आवंटन आई0डी0) विवरणानुसार आवंटित करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– आवंटित धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31–03–2026 तक करवाते हुए भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से संबंधित छात्र–छात्राओं को करवाने का कष्ट करें। भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब/लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

4– योजनान्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से कक्षा–5 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र कुल रू0 318/– मात्र (जूता मूल्य रू0 153/– एवं बैग मूल्य रू0 165/–) जबकि कक्षा–6 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र कुल रू0 462/– मात्र (जूता मूल्य रू0 187/– एवं बैग मूल्य रू0 275/–) का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

5– योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

6– यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

7– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

9– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

10– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 13–कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

क्रमशः पृष्ठ–2 पर

पृ0सं0– अर्थ–2/3677-81/5क(02)/18/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा अल्मोड़ा, हरिद्वार,
टिहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ 2830-34 /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 06 जून, 2025

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु0 738.559 हजार (रु0 सात लाख अड़तीस हजार पाँच सौ उनसठ मात्र) की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। **राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत उक्त धनराश जनपदों को उनसे प्राप्त माँग के आधार पर आवंटित की जा रही है, आपके स्तर से बजट आवंटन किये जाने के समय कृपया पत्रजातों की जाँच अपने स्तर से कर नियमानुसार सही/पूर्ण पाये जाने पश्चात ही बजट आवंटित करें।** गलत आहरण किये जाने के लिए सम्बन्धित आहरण—वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVii(7)32/2007टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 **(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022)**, वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

4— **बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।** आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04—राजकीय प्राथमिक के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

क्रमशः पृष्ठ—2 पर

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183 / XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832 / XXVI / 430 / एक / 2018 / 2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण / व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07—विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0 / नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02—सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0 / नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05—वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2 / 2671-77 / 5क(02) / 05 / 2025—26 / दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5— सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6— सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

1— अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।
2— वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/03/2025—26 दिनांकः 07 मई, 2025

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2025—26 में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी दिनांक 09.04.2025 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 में विभिन्न योजनाओं में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से संबंधित कार्यालयों की मांग के क्रम में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष **क्षेत्रीय निरीक्षण योजना** के अन्तर्गत मण्डलीय अपर निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों के संचालनार्थ रु0 4461 हजार (रुपये चवालीस लाख इकसठ हजार मात्र) धनराशि संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/xxvii(7)32/2007टी0सी0—। दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 **(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022)**, वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3— **बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।**

4— उक्तानुसार आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात व्यय विवरण (बी0एम0—04) निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग पर विचार किया जायेगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 104—निरीक्षण, 03—क्षेत्रीय निरीक्षण के अधीन सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0—अर्थ—2/ 1456-61 /5क(02)/03/2025—26 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
5— सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर, टिहरी, चमोली।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/05/2025—26 दिनांकः 06 मई, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में मा0न्या0 के निर्णय के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई—स्कूल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जि0शि0अधि0, प्रा0शि0, चमोली के पत्र संख्या 4763 दिनांक 05.02.2025 एवं जि0शि0अधि0, प्रा0शि0, टिहरी के पत्र संख्या—7647 दिनांक 22.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा माननीय न्यायालय में योजित याचिकाओं में पारित निर्णय एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या आ0/715—19/2024—25 दिनांक 31, मई 2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित याचीगणों के प्रकरणों, जिसमें वित्त विहीन सेवाओं को जोड़ते हुए चयन/प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर चयन/प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण करने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिकों को देय वेतन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु बजट मांग उपलब्ध करायी गयी है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 148/XXIV(1)—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 (E-52779) दिनांक 05.05.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—वययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07—विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02—सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05—वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से **उपलब्ध बजट** के सापेक्ष संबंधित रिट याचिकाओं के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या आ0/715—19/2024—25 दिनांक 31, मई 2024 के अनुपालन में जनपदों से प्राप्त मांग के क्रम **रु0 26108.701 हजार (रुपये दो करोड़ इकसठ लाख आठ हजार सात सौ एक मात्र)** की धनराशि उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न आई0डी0 अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः—

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या— I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025, शासनादेश सं0— I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय—समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— **सम्बन्धित कार्मिकों के अवशेष वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।**

3— अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4— वित्तीय वर्ष 2025—26 में आवंटित धनराशि का **उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0—04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।**

5— अवमुक्त की जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय—विवरण प्राप्त कराये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर धनराशि आवंटन किया जायेगा।

6— धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

7— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07—विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02—सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05—वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0— अर्थ—2/ 1381—87 /5क(02)/05/2025—26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5— सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6— सूचना प्रकोष्ठ।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, ...।

पत्रांक– अर्थ–2/ 1374-80 /5क(02)/05/2025–26 दिनांकः 06 मई, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 148/XXIV(1)–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 (E-52779) दिनांक 05.05.2025 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में **अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर हाई–स्कूल में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन** आदि भुगतान हेतु धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष **रु0 741540 हजार (रु0 चौहत्तर करोड़ पंद्रह लाख चालीस हजार मात्र)** की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2025–26 में संबंधित विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतनादि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। **मा0 न्या0 से सम्बन्धित प्रकरणों एवं ऐसे प्रकरण जिनमें निदेशालय स्तर से आहरण की नियमानुसार स्वीकृति अपेक्षित हो** उनमें पृथक से बजट माँग निदेशालय को मय पत्रजात सहित उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही बजट आवंटन किया जाना संभव होगा। उक्तानुसार दिये गये निर्देश से इतर धनराशि व्यय किये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025, शासनादेश सं0– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– **सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।**

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4– वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित धनराशि का **उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0–04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।**

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय–विवरण प्राप्त कराये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर धनराशि आवंटन किया जायेगा।

6– धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

8– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 07–विद्यालयों

और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता, 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता के अधीन मानक मद 05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 1374-80 /5क(02)/05/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5– सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा ....।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/04/2025—26 दिनांकः 03 मई, 2025

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित योजनाओं में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से **राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय** एवं **विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना** योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष क्रमशः **रु0 4685.308 हजार (रु0 छियालीस लाख पिचासी हजार तीन सौ आठ मात्र)** एवं **रु0 9341.620 हजार (रु0 तेरानवे लाख इकतालीस हजार छः सौ बीस मात्र)** की धनराशि को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची के अनुसार धनराशि कार्यालय संचालन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। **राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजनान्तर्गत** जनपदों को धनराशि जनपदों में स्थित **राजकीय स्कूलों की संख्या के आधार पर एवं विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना** योजनान्तर्गत जनपदों में स्थित **खण्डों (ब्लॉक) के आधार** पर आवंटित की गई है। आपके स्तर से बजट आवंटन किये जाने के समय उपरोक्त का ध्यान रखा जाये जिससे धनराशि का सदुपयोग होना सुनिश्चित हो। उक्त धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु **साफ्टवेयर (IFMS)** के माध्यम से तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3— किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007टी0सी0—I दिनांक 21—07—2022(जेम पोर्टल), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 **(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022)**, वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय।

4— **बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।** आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा। वेतनादि के मानक मद 01—वेतन, 03—मंहगाई भत्ता, 06—अन्य भत्ता तथा 25—उपयोगिता बिलों का भुगतान मद में धनराशि ग्लोबल बजट में होने के कारण धनराशि का आवंटन नही किया जायेगा। उक्तानुसार वेतनादि के देय देयकों का भुगतान ग्लोबल बजट के अन्तर्गत करवाना सुनिश्चित करें। मानक मद 25—उपयोगिता बिलों का भुगतान मद से विद्यालयों एवं कार्यालयों में विद्युत एवं जनकार के देयकों का शत प्रतिशत भुगतान तत्काल करवाना सुनिश्चित करें। अन्य मानक मदों में बजट माँग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही धनराशि आवंटन पर विचार किया जायेगा।

5— यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

7— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 104–निरीक्षण, 05–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अधीन सुसंगत योजनाओं के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0/विवरण सूची

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 1288-93 /5क(02)/04/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।
4– सूचना प्रकोष्ठ।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

अर्थ-2/1288-93 /5क(02)/04/2025-26 दिनांक 03 मई, 2025

1–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में कार्यरत कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद मे आवंटित धनराशि का विवरण (22020110104)

क्र0 सं0	जनपद देहरादून कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	09–चिकि0प्रति0
1.	श्री वालेश कौशिक, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 घर्मावाला	विकासनगर	देहरादून	86597
				योग	86597

क्र0 सं0	जनपद ऊधम सिंह नगर कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	09–चिकि0प्रति0
1.	श्री राजेन्द्र सिंह, स0अ0	रा0प्रा0वि0 कुण्डेश्वरी	काशीपुर	ऊधमसिंह नगर	120138
2.	श्री अमित कुमार, स0अ0	रा0प्रा0वि0 किशनपुर	सितारगंज	ऊधमसिंह नगर	28573
				योग	148711
				महायोग	235308

2–विकासखण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना योजना में कार्यरत कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद मे आवंटित धनराशि का विवरण 22020110405

क्र0 सं0	जनपद चम्पावत कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि 09–चिकि0प्रति0
1.	दिनेश चन्द्र भट्ट, क0स0 (वर्तमान में व0स0)	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पाटी (वर्तमान में रा0इ0का0 पाली)	–	चम्पावत	49943
2.	दिनेश चन्द्र भट्ट, क0स0 (वर्तमान में व0स0)	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पाटी (वर्तमान में रा0इ0का0 पाली)	–	चम्पावत	13129
3.	दिनेश चन्द्र भट्ट, क0स0 (वर्तमान में व0स0)	उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पाटी (वर्तमान में रा0इ0का0 पाली)	–	चम्पावत	8585
				योग	71657

क्र0 सं0	जनपद देहरादून कार्मिक का नाम/पदनान	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि 09–चिकि0प्रति0
1.	श्री रविन्द्र प्रसाद भट्ट, मु0प्र0अधि0	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, डोईवाला	डोईवाला	देहरादून	22070
				योग	22070

क्र0 सं0	जनपद उत्तरकाशी कार्मिक का नाम/पदनाम	कार्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	धनराशि 09–चिकि0प्रति0
1.	श्री रंजना, व0स0	उपशिक्षा अधिकारी, डुण्डा	–	उत्तरकाशी	32893
				योग	32893
				महायोग	126620

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक— अर्थ—2/ 1283-88 /5क(02)/11/2025—26 दिनांकः 03मई, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन एजूकेशनल पोर्टल योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV-A-2/2025-14/2020 टी0सी दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एजूकेशनल पोर्टल योजना के संचालन के लिए रु0 1600 हजार (रु0 सोलह लाख मात्र) धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मानक मद 25—उपयोगिता बिलों के भुगतान में बजट व्यवस्था ग्लोबल बजटिंग में होने के कारण आवंटन नही किया जा रहा है। उक्त मद में व्यय ग्लोबल बजटिंग के अन्तर्गत किया जायेगा। शेष धनराशि रु0 1200 हजार (रु0 बारह लाख मात्र) को संलग्न बजट आंवटन आई0डी0 के द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः—

उक्त मानक मद में आवंटित धनराशि रु0 1200 हजार (रु0 बारह लाख मात्र) से संबधित कम्प्यूटर प्रोग्रामर के मानदेय का भुगतान मासिक आधार पर एवं सिक्योरिटी ऑडिट किया जाना सुनिश्चित करें।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 यथासंशोधित 2019, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2— व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— योजना के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये। संबंधित संस्था से कम्पयूटर प्रोग्रामर का मासिक व्यय का देयक प्राप्त करते हुए प्रति माह का भुगतान किया जाये। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से देयताओं के सम्बन्ध में अग्रिम भुगतान न किया जाये। अवमुक्त धनराशि से केवल वित्तीय वर्ष 2025—26 की ही देयता का भुगतान नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। गलत आहरण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित पटल प्रभारी लेखा की होगी।

4— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

6— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

7— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 106–अध्यापक और अन्य सेवायें, 02–एजूकेशन पोर्टल के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0– अर्थ–2/ 1283-88 /5क(02)/11/2025–26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल
पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक— अर्थ—2/ /5क(02)/05/2025—26 दिनांकः25,अप्रैल, 2025

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2025—26 में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV—A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में मूल बजट में **रु0 112800 हजार (रु0 ग्यारह करोड़ अट्ठाईस लाख मात्र)** धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सहायता प्राप्त मा0वि0 से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग योजना में नियमानुसार सृजित पदों के सापेक्ष अनुमोदित एवं कार्यरत कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2025—26 में मासिक वेतनादि का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि **रु0 106200 हजार (रुपये दस करोड़ बासठ लाख मात्र)** शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2025—26 में संबंधित विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करें। आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर बजट होने के बावजूद भी यदि कार्मिकों को मासिक वेतन का प्रतिमाह भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

1— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2— **सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन आदि के देयकों का परीक्षण जनपदीय वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा किये जाने के उपरान्त ही देयक कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे।**

3— वित्तीय वर्ष 2025—26 में आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी0एम0—04 के साथ) अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रत्येक माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में भविष्य हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

4— योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जाय।

5— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

6— यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अनय सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

7— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

8— उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023—ई. 47678 दिनांक 15.02.2023 के कम में ई—साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या—11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 14—सहायता प्राप्त उ0मा0 विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग के अधीन संबंधित मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0— अर्थ—2/ 877-83 /5क(02)/05/2025—26/दिनांक उक्तवत् ।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5— सम्बन्धित वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ।
6— सूचना प्रकोष्ठ।

(हिमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली,
चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी,
पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊ0सिं0नगर।

पत्रांक– अर्थ–2/ /5क(02)/04/2025–26 दिनांकः २5, अप्रैल, 2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन शिक्षा मित्रों का मानदेय योजना में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से **शिक्षा मित्रों का मानदेय** योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रु0 79830 हजार (रु0 सात करोड़ अट्ठानवे लाख तीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/उप शिक्षा अधिकारियों को व्यय किये जाने हेतु साफ्टवेयर **(IFMS)** के माध्यम से आवश्यकतानुसार तत्काल आवंटित कर दिया जाये।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 **(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022)**, वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अनय सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

4– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

5– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत धनराशि का **व्यय विवरण विकासखण्डवार प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से निदेशालय को माह की 08 तारीख तक उपलब्ध कराया जाये।**

6– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(I)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन जेनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारभिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 18–शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान योजना के अधीन संबंधित मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः बजट आवंटन आई0डी0

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

पृ0सं0— अर्थ—2/ 872-76 /5क(02)/04/2025—26/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

2— सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)।

4— सूचना प्रकोष्ठ।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ 702-5 /5क(02)/02/2025–26 दिनांक: 21 अप्रैल, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 141/XXIV–A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान स0–11 के राजस्व पक्ष में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अवमुक्त धनराशि रु0 38,05,000/–(रुपये अड़तीस लाख पाँच हजार मात्र) को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वेतनादि की मदें एवं मानक मद 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान में बजट व्यवस्था ग्लोबल बजटिंग में होने के कारण आवंटित नहीं की जा रही है। उक्त मद में व्यय ग्लोबल बजटिंग के अन्तर्गत किया जायेगा।

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 827/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.2019 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय निर्धारित मानक मदों में की गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा शासनादेश संख्या 103/XXVII(7)32/2007टी0सी0–। दिनांक 21–07–2022(जेम पोर्टल), वितीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 यथा संशोधित 2022), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाय। बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये। आवंटित धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही भविष्य में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना संभव होगा।

4– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

5– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

6– उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है एवं बजट अलाटमैंट आई0डी0 शासनादेश संख्या 98832/XXVI/430/एक/ 2018/2023–ई.47678 दिनांक 15.02.2023 के क्रम में ई–साईन करते हुए प्रेषित की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–निदेशालय अधिष्ठान के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– अलाटमेंट आई0डी0।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– अर्थ–2/ 702-5 /5क(02)/02/2025–26/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।